



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102026-277417
CG-DL-E-24102026-277417

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2026/कार्तिक 1, 1948

No. 327]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2026/KARTIKA 1, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2026

मामला सं. – एडी (एसएसआर) – 04/2026

विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “लौह, मिश्र धातु अथवा गैर-मिश्र धातु इस्पात के सीमलेस ट्यूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल” के आयात से संबंधित निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच।



फा. सं. 7/08/2026-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित उसके अंतर्गत बनाई गई सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली, 1995" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. जिंदल साँ लिमिटेड, किलोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड (जिन्हें आगे 'आवेदक' अथवा 'घरेलू उद्योग' कहा गया है) ने यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "लौह, मिश्र धातु अथवा गैर-मिश्र धातु इस्पात (ढलवां लोहे और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) के सीमलेस ट्यूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल, चाहे वे हॉट फिनिश हों अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोलड हों, जिनका बाहरी व्यास 355.6 मिमी अथवा 14" ओडी से अधिक न हो" (जिसे आगे 'संबद्ध वस्तु' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद' कहा गया है) के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा शुरू करने का अनुरोध किया गया है। आवेदकों ने शुल्क के स्वरूप में संशोधन और शुल्क की मात्रा में वृद्धि का भी अनुरोध किया है।
2. चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तु के आयात से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच दिनांक 8 जुलाई, 2015 की अधिसूचना द्वारा शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 31 मार्च, 2016 के प्रारंभिक जांच परिणाम द्वारा अनंतिम शुल्क की सिफारिश की थी, जिसे दिनांक 17 मई, 2016 की अधिसूचना सं. 18/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा अधिरोपित किया गया था। प्राधिकारी ने दिनांक 9 दिसंबर, 2016 को अपने अंतिम जांच परिणाम जारी किए, जिनमें निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी, जिसे दिनांक 17 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 7/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा अधिरोपित किया गया था।
3. पहली निर्णायक समीक्षा दिनांक 19 फरवरी, 2021 को शुरू की गई थी। उसके निष्कर्ष तक, दिनांक 7 मई, 2021 की अधिसूचना सं. 29/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा शुल्क को 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ाया गया था। प्राधिकारी ने दिनांक 30 जुलाई, 2021 के अंतिम जांच परिणाम द्वारा शुल्क को पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश की थी, और दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना सं. 64/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा शुल्क को जारी रखा गया था।
4. आवेदकों द्वारा दायर विधिवत रूप से प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार दिनांक 20 मार्च, 2026 की जांच शुरूआत अधिसूचना सं. 7/08/2026-डीजीटीआर द्वारा वर्तमान निर्णायक समीक्षा शुरू की। वर्तमान निर्णायक समीक्षा के निष्कर्ष तक, दिनांक 6 जुलाई, 2026 की अधिसूचना सं. 16/2026-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा शुल्क को 3 माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। अब शुल्क की समाप्ति दिनांक 27 जनवरी, 2027 को होनी है।

ख. प्रक्रिया

5. प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

5.1. जांच की शुरुआत

- i. जांच की शुरुआत से पूर्व, संबद्ध देश की सरकार को भारत में स्थित उसके दूतावास के माध्यम से वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में अधिसूचित किया गया था।
- ii. नियम 6(1) और नियम 23(1ख) के साथ पठित नियम 5 के अनुसार, आवेदन की जांच करने और पाटन, क्षति, संभावना तथा कारणात्मक संबंध के *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य पाए जाने पर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 20 मार्च, 2026 की अधिसूचना सं. 7/08/2026-डीजीटीआर जारी की, जिसके द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से आयात पर संबद्ध जांच शुरू की गई।
- iii. नियम 6(2) के अनुसार, आवेदन में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति साझा करके हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत के बारे में सूचित किया गया था।

5.2. जांच की अवधि और क्षति अवधि

- i. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि ('जांच अवधि') 1 अक्तूबर, 2024 से 30 सितंबर, 2025 तक है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और जांच की अवधि शामिल है।

5.3. आयात आंकड़े

- i. क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के लेनदेन-वार आयात आंकड़े प्राप्त करने हेतु डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया गया था। लेनदेनों की समुचित जांच के पश्चात, प्राप्त आंकड़ों पर आवश्यक विश्लेषण हेतु भरोसा किया गया है।

5.4. आवेदन के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

- i. नियम 6(3) के अनुसार, आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति संबद्ध देश की सरकार को भारत में स्थित उसके दूतावास के माध्यम से, संबद्ध आयातों के ज्ञात निर्यातकों को तथा उन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी, जिन्होंने आवेदन की प्रति के लिए लिखित में अनुरोध किया था।

5.5. संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भागीदारी

- i. नियम 6(4) के अनुसार, जांच हेतु सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के संबंध में सूचना मांगने के लिए निर्यातक प्रश्नावली की एक प्रति निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों को भेजी गई थी।

- क. आन्हुई तियानदा ऑयल पाइप कंपनी लिमिटेड
- ख. बाओशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
- ग. चांगबाओ स्टील ट्यूब्स जियांगसू
- घ. चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन
- ङ. डालिपाल पाइप कंपनी
- च. हेबेई होंगलिंग सीमलेस स्टील पाइप्स कंपनी लिमिटेड
- छ. हेइलॉगजियांग जियानलॉग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
- ज. इनर मंगोलिया बाओटोउ स्टील यूनियन कंपनी लिमिटेड
- झ. जियांगसू चांगबाओ प्रिसिज़न स्टील ट्यूब कंपनी लिमिटेड

- अ. जियांगसू चेंगदे स्टील ट्यूब शेयर कंपनी लिमिटेड
 ट. जियांगसू हुआचेंग इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 ठ. नॉर्थ चाइना पेट्रोलियम स्टील पाइप कंपनी लिमिटेड
 ड. पानगांग ग्रुप चेंगदू आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
 ढ. पानगांग ग्रुप चेंगदू स्टील एंड वैनेडियम कंपनी लिमिटेड
 ण. शानडोंग मोलोंग पेट्रोलियम मशीनरी कंपनी लिमिटेड
 त. शेंगली ऑयल फील्ड फ्रीट पेट्रोलियम स्टील पाइप कंपनी लिमिटेड
 थ. सूझोउ सीमलेस स्टील ट्यूब वर्क्स
 द. ताइकांग शिनबाओयी स्टील पाइप मैनुफैक्चरर कंपनी लिमिटेड
 ध. तियानजिन पाइप (ग्रुप) कॉर्पोरेशन
 न. वूशी देशिन स्टील ट्यूब कंपनी लिमिटेड
 प. वूशी डोंगवू पाइप इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
 फ. शीगांग सीमलेस स्टील पाइप कंपनी लिमिटेड
 ब. यांगझोउ लॉन्गट्रिन स्टील ट्यूब कंपनी लिमिटेड
 भ. यांताई लुबाओ स्टील पाइप कंपनी
 म. झांगजियांगयियांग पाइप प्रोड्यूसिंग कंपनी लिमिटेड
 य. हेंगयांग वालिन एमपीएम कंपनी लिमिटेड
 र. चांगबाओ प्रिसिज़न एंड स्पेशल स्टील ट्यूब कंपनी लिमिटेड
 ल. ताइझोउ चेंगदे स्टील ट्यूब कंपनी लिमिटेड
- ii. प्रश्नावली संबद्ध देश की सरकार को भारत में स्थित उसके दूतावास के माध्यम से भी भेजी गई थी। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह जांच शुरूआत अधिसूचना और प्रश्नावली संबद्ध वस्तु के उत्पादकों को अग्रेषित करे और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दे।
- iii. उपर्युक्त के उत्तर में, Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co Ltd. (जिसे आगे “जेएससी” भी कहा गया है) ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया।

5.6. आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा भागीदारी

- i. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मांगने हेतु आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली की एक प्रति भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भी भेजी गई थी।
- क. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
 ख. भारत एंटरप्राइजेज
 ग. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 घ. एंड्रयूरेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
 ड. एफएजी बेयरिंग्स इंडिया लिमिटेड (शेफलर इंडिया लिमिटेड)
 च. गजानन ट्यूब्स
 छ. गांधी स्पेशल ट्यूब्स लिमिटेड
 ज. जी.बी. इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
 झ. हिमेल
 अ. हाई-टेक इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 ट. इंडस्ट्रियल मेटल कॉर्पोरेशन
 ठ. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रिफाइनरी प्रभाग)
 ड. जेआर सीमलेस प्राइवेट लिमिटेड
 ढ. किशोर वाडीलाल प्राइवेट लिमिटेड
 ण. मद्रास स्टील एंड ट्यूब्स
 त. महा फिटिंग प्राइवेट लिमिटेड
 थ. मराठवाड़ा ऑटो कम्पो प्राइवेट लिमिटेड

- द. मेटालिका मेटल इंडिया
- ध. मुरुगन स्टील्स एंड ट्यूब्स
- न. नॉर्दर्न स्टील ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
- प. प्रवीण इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- फ. राणे (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
- ब. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- भ. आरएसबी ट्रांसमिशंस (आई) लिमिटेड
- म. समीर मेटल एंड ट्यूब्स
- य. श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी
- र. सिटसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ल. एस.एस. इंजीनियर्स
- व. टेक्नोटैक
- श. ट्यूब्स इंडिया
- ष. विभोर स्टील ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
- स. विनायक ट्यूब्स
- ह. विप्रो लिमिटेड

- ii. उपर्युक्त के उत्तर में, किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने वर्तमान समीक्षा में उत्तर नहीं दिया है और भाग नहीं लिया है।

5.7. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार

- i. निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत कराने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करें।

5.8. आर्थिक हित प्रश्नावली

- i. सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों तथा घरेलू उद्योग को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की गई थी। आर्थिक हित प्रश्नावली प्रशासनिक संबद्ध मंत्रालय होने के नाते इस्पात मंत्रालय के साथ भी साझा की गई थी। आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर घरेलू उद्योग और जियांगसू चेंगदे स्टील ट्यूब शेयर कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था।

5.9. मौखिक सुनवाई

- i. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 9 जून, 2026 को आयोजित सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें और उसके पश्चात प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करें।

5.10. अन्य प्रक्रिया

- i. जिन विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उत्तर नहीं दिया है, अथवा इस जांच से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।
- ii. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर सभी भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर

अपलोड की गई थी और उसमें उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराएं।

- iii. नियम 6(8) के अनुसार, जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इनकार किया है अथवा अन्यथा उसे समय पर उपलब्ध नहीं कराया है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली है, ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया है और ऐसे पक्षकारों के संबंध में जांच परिणाम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दर्ज किए गए हैं।
- iv. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच ऐसे गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, जहां कहीं आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया गया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- v. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है, प्राधिकारी ने वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में उसे प्रकट नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई गोपनीय सूचना से प्राधिकारी द्वारा संसाधित की गई किसी भी सूचना को भी वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में गोपनीय माना गया है और वास्तविक आधार पर प्रकट नहीं किया गया है, क्योंकि वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में ऐसी सूचना को वास्तविक आधार पर प्रकट करने से उस सूचना का प्रकटन हो जाएगा जिसकी गोपनीयता नियमावली द्वारा संरक्षित है।
- vi. नियम 8 के अनुसार, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक समझा गया। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- vii. क्षतिरहित कीमत की गणना आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन की इष्टतम लागत तथा उत्पादन एवं बिक्री की लागत के आधार पर की गई है।
- viii. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचना पर उस सीमा तक विचार किया गया है जिस सीमा तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत माने गए हैं।
- ix. वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में “****” किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत ऐसी ही मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- x. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 86.76 रुपये है, जो जांच की अवधि के दौरान लागू, आयातित वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन हेतु सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों का औसत है। इस संपूर्ण दस्तावेज में इसी दर को लागू किया गया है।

स्रोत: <https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate>

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. जेएससी ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि ओसीटीजी उत्पादों के संबंध में पाटन अथवा क्षति की कोई संभावना नहीं है और उसने अनुकूल स्थिति प्रस्तुत करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में चयनात्मक रूप से संशोधन किया है। जेएससी ने आगे यह इंगित किया कि विचाराधीन उत्पाद पर घरेलू उद्योग की टिप्पणियों में समावेशन खंड से “तथा तेल और गैस की खोज हेतु ड्रिलिंग में प्रयुक्त किस्म के केसिंग और ट्यूबिंग” वाक्यांश को हटा दिया गया था, और उसने अंतिम क्षेत्र तथा पीसीएन पद्धति के संबंध में स्पष्टता मांगी।

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

7. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।
- घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि वर्तमान में लागू शुल्क के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार की जाए, जिसमें पीसीएन A-1-1 से A-1-4 के अंतर्गत शामिल ऑयल कंट्री ट्यूबलर गुड्स (ओसीटीजी) को शामिल न किया जाए।
 - यह अनुरोध किया गया कि घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादों को वरीयता संबंधी सार्वजनिक खरीद नीति (डीएमआई एंड एसपी), 2017 (यथासंशोधित) के अनुसरण में, सरकारी खरीद हेतु आपूर्ति किए जाने वाले ओसीटीजी उत्पादों का विनिर्माण भारत में पिघलाए और ढाले गए इस्पात से किया जाना अपेक्षित है, जिसके परिणामस्वरूप ओसीटीजी हेतु सरकारी खरीद बाजार आयातों से सुरक्षित है और ऐसे उत्पादों के संबंध में क्षति की कोई संभावना नहीं है।
 - निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को सीमित करने पर कोई रोक नहीं है, और विस्कोस स्टेपल फाइबर (2021), फुली ड्रॉन यार्न (2020) और ग्लास फाइबर (2016) से संबंधित निर्णायक समीक्षाओं पर भरोसा किया गया।
 - घरेलू उद्योग ने पीसीएन A-1-1 से A-1-4 को छोड़कर, मूल जांच में निर्धारित पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव किया है।
 - घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और भारत में आयातित वस्तु समान वस्तुएं हैं। आवेदकों द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

8. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद “लौह, मिश्र धातु अथवा गैर-मिश्र धातु इस्पात (ढलवां लोहे और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) के सीमलेस ट्यूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल, चाहे वे हॉट फिनिश हों अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोल्ल्ड हों, जिनका बाहरी व्यास 355.6 मिमी अथवा 14” ओडी से अधिक न हो” था, जिसमें हाइड्रोकार्बन उद्योग में प्रयुक्त बॉयलर पाइप अथवा लाइन पाइप तथा तेल और गैस की खोज हेतु ड्रिलिंग में प्रयुक्त किस्म के केसिंग और ट्यूबिंग शामिल थे, बशर्ते निम्नलिखित अपवर्जन लागू हों –

- ढलवां लोहे और स्टेनलेस स्टील से बने सीमलेस पाइप और ट्यूब
- एएसटीएम ए213/एएसएमई एसए 213 और एएसटीएम ए335/एएसएमई एसए 335 अथवा समतुल्य विनिर्देशनों वाले सीमलेस मिश्र धातु इस्पात पाइप, ट्यूब और खोखले प्रोफाइल

- iii. दिनांक 17 मार्च, 2012 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 12/2012 की क्रम सं. 356 के अंतर्गत यथानिर्धारित गैर-एपीआई और प्रीमियम जॉइंट्स/प्रीमियम कनेक्शन्स/प्रीमियम थ्रेडेड ट्यूब और पाइप
 - iv. सभी 13 क्रोमियम (13सीआर) ग्रेड के ट्यूब और पाइप
 - v. ड्रिल कॉलर
 - vi. पेसो के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित उत्पादकों द्वारा गैस सिलेंडरों के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त उच्च दाब सीमलेस इस्पात पाइप/ट्यूब।
9. आवेदकों के अनुरोध पर, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के चरण में ही वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को सीमित करते हुए 355.6 मिमी अथवा 14" ओडी से अनधिक बाहरी व्यास वाले (i) सीमलेस ट्यूबिंग, (ii) तेल अथवा गैस हेतु ड्रिलिंग में प्रयुक्त किस्म के सीमलेस केसिंग, (iii) सीमलेस मदर हॉलो, कपलिंग स्टॉक, ब्लैंक/पप जॉइंट्स, और (iv) सीमलेस ड्रिल पाइप (अर्थात् मूल जांच में पीसीएन A-1-1 से A-1-4 के अंतर्गत शामिल ओसीटीजी उत्पाद) को अपवर्जित कर दिया था। ऐसी वस्तुओं के स्पष्ट अपवर्जन के फलस्वरूप मूल विवरण में "तेल और गैस की खोज हेतु ड्रिलिंग में प्रयुक्त किस्म के केसिंग और ट्यूबिंग" वाक्यांश परिणामतः अपवर्जित हो जाता है, और घरेलू उद्योग की टिप्पणियों में इसका लोप यथाअधिसूचित क्षेत्र का विस्तार नहीं करता है अथवा उसमें अन्यथा कोई परिवर्तन नहीं करता है।
10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो अधिनियम और न ही नियमावली निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को कम करने पर रोक लगाती है, विशेषकर जहां घरेलू उद्योग स्वयं कतिपय उत्पाद प्रकारों के संबंध में संरक्षण जारी रखने का अनुरोध नहीं करता है। इस प्रकार की कटौती उपाय की व्याप्ति का विस्तार करने के बजाय उसे कम करती है और इससे निर्यातकों अथवा प्रयोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षाओं में निरंतर इसी दृष्टिकोण का पालन किया है। अतः, जेएससी का तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है।
11. तदनुसार, वर्तमान समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद, जैसा कि जांच की शुरुआत के चरण में दिनांक 20 मार्च, 2026 की अधिसूचना सं. 7/08/2026-डीजीटीआर द्वारा भी अधिसूचित किया गया था, नीचे दिए अनुसार है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन के मुद्दे पर सभी हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त अनुरोधों के पश्चात्, प्राधिकारी ने दिनांक 7 मई, 2026 की सूचना द्वारा एक अतिरिक्त स्पष्टीकरण के साथ वही उत्पाद क्षेत्र अधिसूचित किया जो जांच की शुरुआत के समय अधिसूचित किया गया था।

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'लौह, मिश्र धातु अथवा गैर-मिश्र धातु इस्पात (ढलवां लोहे और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) के सीमलेस ट्यूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल, चाहे वे हॉट फिनिश हों अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोल्ड हों, जिनका बाहरी व्यास 355.6 मिमी अथवा 14" ओडी से अधिक न हो" है। इसमें हाइड्रोकार्बन उद्योग में प्रयुक्त बायलर पाइप अथवा लाइन पाइप शामिल हैं।

निम्नलिखित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अपवर्जित हैं:

- i. *ढलवां लोहे और स्टेनलेस स्टील से बने सीमलेस पाइप और ट्यूब।*
- ii. *एएसटीएम ए213/एएसएमई एसए 213 और एएसटीएम ए335/एएसएमई एसए 335 अथवा समतुल्य बीआईएस/डीआईएन/बीएस/ईएन अथवा किसी अन्य समतुल्य विनिर्देशन वाले सीमलेस मिश्र धातु इस्पात पाइप, ट्यूब और खोखले प्रोफाइल।*

- iii. दिनांक 17 मार्च, 2012 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 12/2012 की क्रम संख्या 356 के अंतर्गत यथानिर्धारित गैर-एपीआई और प्रीमियम जॉइंट्स/प्रीमियम कनेक्शन्स/प्रीमियम थ्रेडेड ट्यूब और पाइप।
- iv. सभी 13 क्रोमियम (13सीआर) ग्रेड के ट्यूब और पाइप।
- v. ड्रिल कॉलर।
- vi. पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, भारत सरकार के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित उत्पादकों द्वारा गैस सिलेंडरों के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त उच्च दाब सीमलेस इस्पात पाइप/ट्यूब।
- vii. तेल अथवा गैस हेतु ड्रिलिंग में प्रयुक्त किस्म की, कार्बन/गैर-मिश्र धातु/मिश्र धातु की, हॉट फिनिशड अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोलड सीमलेस ट्यूबिंग, जिसका बाहरी व्यास 355.6 मिमी अथवा 14" ओडी से अधिक न हो।
- viii. तेल अथवा गैस हेतु ड्रिलिंग में प्रयुक्त किस्म की, कार्बन/गैर-मिश्र धातु/मिश्र धातु की, हॉट फिनिशड अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोलड सीमलेस केसिंग, जिसका बाहरी व्यास 355.6 मिमी अथवा 14" ओडी से अधिक न हो।
- ix. कार्बन/गैर-मिश्र धातु/मिश्र धातु के, हॉट फिनिशड अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोलड सीमलेस मदर हॉलो, कपलिंग स्टॉक, ब्लैंक/पप जॉइंट्स, जिनका बाहरी व्यास 355.6 मिमी अथवा 14" ओडी से अधिक न हो।
- x. तेल अथवा गैस हेतु ड्रिलिंग में प्रयुक्त किस्म के, कार्बन/गैर-मिश्र धातु के, हॉट फिनिशड सीमलेस ड्रिल पाइप, जिनका बाहरी व्यास 355.6 मिमी अथवा 14" ओडी से अधिक न हो।"
12. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 73 के शीर्ष 7304 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
13. पीसीएन पद्धति के संबंध में, आवेदकों ने उपर्युक्त ओसीटीजी उत्पादों को छोड़कर, प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती जांचों में अपनाई गई पीसीएन पद्धति को अपनाने का अनुरोध किया। जेएससी ने केवल अंतिम क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में स्पष्टता मांगी है, जिसे ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है। तदनुसार, उचित तुलना के प्रयोजनार्थ, जांच की शुरुआत के समय यथाअधिसूचित निम्नलिखित पीसीएन पद्धति अपनाई गई है:

पीसीएन	विवरण
A-1-5	कार्बन/गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट फिनिशड सीमलेस ट्यूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल, जिनमें लाइन पाइप शामिल हैं, जिनका बाहरी व्यास 355.6 मिमी अथवा 14" ओडी से अधिक न हो
A-1-6	कार्बन/गैर-मिश्र धातु इस्पात के कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोलड अथवा कोल्ड रिड्यूस्ड, वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाले सीमलेस ट्यूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल, जिनमें लाइन पाइप शामिल हैं, जिनका बाहरी व्यास 355.6 मिमी अथवा 14" ओडी से अधिक न हो
A-1-7	मिश्र धातु इस्पात के हॉट फिनिशड, वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाले सीमलेस ट्यूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल, जिनमें लाइन पाइप और बेयरिंग ट्यूब शामिल हैं, जिनका बाहरी व्यास 355.6 मिमी अथवा 14" ओडी से अधिक न हो

पीसीएन	विवरण
A-1-8	मिश्र धातु इस्पात के कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोलड अथवा कोल्ड रिड्यूस्ड, वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाले सीमलेस ट्यूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल, जिनमें लाइन पाइप और बेयरिंग ट्यूब शामिल हैं, जिनका बाहरी व्यास 355.6 मिमी अथवा 14" ओडी से अधिक न हो

14. समान वस्तु के संबंध में, घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से कोई ज्ञात अंतर नहीं है। इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई। प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

15. जेएससी ने यह अनुरोध किया है कि मूल जांच, पहली निर्णायक समीक्षा और वर्तमान समीक्षा के बीच घरेलू उद्योग का गठन बिना किसी स्पष्टीकरण के परिवर्तित हुआ है; कि आईएसएमटी लिमिटेड को हटा दिया गया है जबकि किलोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पहली बार शामिल किया गया है और महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड को पुनः शामिल किया गया है; और कि इस प्रकार का चयन क्षति विश्लेषण की प्रतिनिधिकता को कमजोर करता है। जेएससी ने आईएसएमटी लिमिटेड के अपवर्जन के लिए तर्कसंगत औचित्य की मांग की है।

घ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

16. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु के तीन सबसे बड़े उत्पादक हैं, जिनका भारतीय उत्पादन में 93% हिस्सा है, कि उन्होंने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित हैं। यह अनुरोध किया गया कि आईएसएमटी लिमिटेड, जो पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में एक आवेदक था, परिसमापन की प्रक्रिया से गुजरा और उसका अधिग्रहण किलोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न कार्यवाहियों में घरेलू उद्योग का समान गठन बनाए रखने का कोई विधिक दायित्व नहीं है, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा पहली निर्णायक समीक्षा में ही माना गया था।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

17. नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को समान वस्तु के विनिर्माण में लगे समग्र घरेलू उत्पादकों के रूप में, अथवा उन उत्पादकों के रूप में परिभाषित करता है जिनका सामूहिक उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात है, जिसमें वे उत्पादक शामिल नहीं हैं जो कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हैं अथवा स्वयं उसके आयातक हैं।
18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में आवेदकों के अतिरिक्त संबद्ध वस्तु के छह अन्य ज्ञात उत्पादक हैं। जांच अवधि के दौरान आवेदकों और अन्य भारतीय उत्पादकों का उत्पादन निम्नानुसार है:

उत्पादक	उत्पादन (मी.ट.)	हिस्सा (%)
महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड	***	***
जिंदल सॉ लिमिटेड	***	***
किलोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	***	***
कुल – आवेदक	6,17,542	93%
अन्य भारतीय उत्पादक (6)	49,446	7%
कुल भारतीय उत्पादन	6,66,989	100%

19. आवेदकों ने यह प्रमाणित किया है कि उन्होंने क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन में आवेदकों का हिस्सा 93% है और इसलिए, वे भारत में कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात हैं।
20. घरेलू उद्योग के गठन में परिवर्तन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है, आईएसएमटी लिमिटेड पहली निर्णायक समीक्षा के पश्चात परिसमापन की प्रक्रिया से गुजरा और उसका अधिग्रहण किलोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किया गया। इस प्रकार, आईएसएमटी लिमिटेड अब संबद्ध वस्तु के एक पृथक उत्पादक के रूप में अस्तित्व में नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि उत्तरवर्ती कार्यवाहियों में घरेलू उद्योग का समान गठन बनाए रखने का कोई विधिक दायित्व प्राधिकारी अथवा आवेदकों पर नहीं है। प्राधिकारी से केवल यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा है कि आवेदक नियम 2(ख) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। वर्तमान मामले में, आवेदकों का भारतीय उत्पादन में 93% हिस्सा है और इस प्रकार, चयनात्मक चयन का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः, जेएससी का तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है।
21. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह पाते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत आधार संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

22. एकमात्र उत्तरदाता निर्यातक, जेएससी, ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और अन्य अनुरोध किए हैं, जिनमें कारण प्रस्तुत करने के पश्चात कतिपय सूचना को गोपनीय होने का दावा किया गया है।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. घरेलू उद्योग ने जांच के दौरान विभिन्न अनुरोध किए हैं, और कारण प्रस्तुत करने के पश्चात कतिपय सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

24. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर नियम 6(7) तथा दिनांक 9 दिसंबर, 2013 की व्यापार सूचना 1/2013 के साथ पठित दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था।

“गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां, अथवा जांच के दौरान किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सूचना, उसकी गोपनीयता के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर, उसके द्वारा उसी रूप में मानी जाएगी और ऐसी कोई भी सूचना, ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना, किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं और यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव नहीं है, तो ऐसा पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता या तो सूचना को सार्वजनिक करने का अथवा सामान्यीकृत या सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है, तो वे ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।”

25. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावों की, संगत मानी गई सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और तदनुसार उनका समाधान किया गया। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने विभिन्न सूचनाओं, जैसे उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सा, स्टॉक, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय, क्षतिरहित कीमत, उत्पादन लागत संबंधी सूचना, उत्पादन लागत पर आधारित सामान्य मूल्य, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन आदि पर गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा गया है कि जहां कहीं सूचना क्षति अवधि के लिए है, उसे सूचीबद्ध आधार पर उपलब्ध कराया गया है। सामान्य मूल्य, क्षतिरहित कीमत और कीमत कटौती जैसी सूचना को रेंज में प्रकट किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने विभिन्न सहायक दस्तावेजों और सूचना पर भी गोपनीयता का दावा किया है, जहां कहीं ऐसी सूचना उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि ऐसी सूचना का अगोपनीय सारांश उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है क्योंकि इन दस्तावेजों का सारांश तैयार करना संभव नहीं है। इसी प्रकार, निर्यातक ने अपनी बिक्री मात्रा, बिक्री मूल्य, कीमतों, उत्पादन लागत और सहायक दस्तावेजों के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। जहां संभव था, निर्यातक ने सूचना सूचीबद्ध रूप में उपलब्ध कराई है।

26. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां कहीं आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं संभव था, हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना के पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

च. विविध अनुरोध

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

27. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं।

- i. पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 11.3 नियम के रूप में पांच वर्ष के पश्चात शुल्क की समाप्ति को अधिदेशित करता है, और शुल्क को जारी रखना एक अपवाद है जिसके लिए सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित कठोर जांच अपेक्षित है (यूएस – कोरोज़न-रेज़िस्टेंट स्टील सनसेट रिव्यू में अपीलिय निकाय; ऑल इंडिया लैमिनेटेड फैब्रिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी) में सेस्टेट)। शुल्क दस वर्ष से अधिक समय से लागू है, और भारतीय उद्योग में उत्पादकों की संख्या 5 से बढ़कर 10 होना यह दर्शाता है कि शुल्क ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है।
- ii. अधिनियम की धारा 9क(5) केवल केंद्र सरकार को विद्यमान शुल्क को 'बढ़ाने' के लिए सशक्त करती है और निर्णायक समीक्षा में शुल्क की मात्रा अथवा स्वरूप के पुनः निर्धारण की परिकल्पना नहीं करती है। अनेक हाल की निर्णायक समीक्षाओं (फेसड ग्लास बूल, मिथाइल एसिटोएसिटेट, फ्लेक्सबल स्लैबस्टॉक पॉलीओल, 2-एथिल हेक्सानॉल, एफकेएम, फ्लैक्स फैब्रिक, एनिलीन, सोडियम साइट्रेट, डीओपीपी, ईवीए शीट आदि) में, प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों के लिए मूल जांच में यथानिर्धारित वही शुल्क जारी रखा, यद्यपि नए मार्जिनों का परिमाणन किया गया था।
- iii. संदर्भ कीमत में वृद्धि का अनुरोध एक दोहराया गया तर्क है जिसे पहली निर्णायक समीक्षा में अस्वीकार कर दिया गया था और जिसे चुनौती नहीं दी गई थी। संदर्भ कीमत स्वयं घरेलू उद्योग के कहने पर अमरीकी डॉलर में निर्धारित की गई है; भारतीय रुपये के अवमूल्यन (मूल जांच अवधि में 61.59 रुपये/अमरीकी डॉलर से वर्तमान जांच अवधि में 87 रुपये/अमरीकी डॉलर) के कारण, रुपये के संदर्भ में संदर्भ कीमत में पहले ही लगभग 55% की वृद्धि हो चुकी है। यदि संदर्भ कीमत पर पुनर्विचार किया जाता है, तो उसे अमरीकी डॉलर के संदर्भ में कम किया जाना चाहिए अथवा भारतीय रुपये में निर्धारित किया जाना चाहिए।
- iv. जेएससी, जिसने मूल जांच, पहली निर्णायक समीक्षा और वर्तमान समीक्षा में सहयोग किया है, को एक वैयक्तिक दर प्रदान की जानी चाहिए, और उसके लिए शुल्क की वही दर और स्वरूप जारी रखा जाना चाहिए। 'अन्य सभी' के लिए उच्चतर शुल्क निर्धारित किया जा सकता है।
- v. अधिक बीजक बनाने और यानांतरण के आरोप निराधार और व्यापक हैं तथा उनका जेएससी से कोई संबंध नहीं है।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- i. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 और अधिनियम की धारा 9क(5) के अंतर्गत, शुल्क को वहां जारी रखा जाना है जहां प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। किसी 'असाधारण' परिस्थिति को सिद्ध करने की कोई अपेक्षा नहीं है।

- ii. सेस्टेट ने ऑल इंडिया लैमिनेटेड फैब्रिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में यह माना कि यदि प्राधिकारी कठोर जांच करने के पश्चात पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना पाते हैं, तो शुल्क को जारी रखा जा सकता है।
- iii. प्राधिकारी ने अनेक मामलों, जैसे एक्रेलिक फाइबर, कास्टिक सोडा, फिनोल, मेलामाइन, पीटीएफई, नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक आदि में दूसरी, तीसरी और चौथी निर्णायक समीक्षाओं में शुल्क जारी रखा है। वस्तुतः, विभिन्न अन्य क्षेत्राधिकारों ने भी, जहां आवश्यक था, 20 वर्ष से अधिक समय के लिए शुल्क बढ़ाया है।
- iv. वर्तमान शुल्क जनवरी-दिसंबर 2014 की लागत और कीमत स्थितियों के आधार पर निर्धारित संदर्भ कीमत के रूप में है। जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत पीसीएन A-1-5 और A-1-6 के लिए संदर्भ कीमत से अधिक है, किंतु वर्तमान क्षतिरहित कीमत से कम है, और जब तक आयातों की कीमत संदर्भ कीमत से मामूली रूप से अधिक रहती है, वे क्षति पहुंचाते रहते हैं। इस प्रकार, संदर्भ कीमत का स्वरूप अप्रभावी हो गया है।
- v. यद्यपि पिछली समीक्षा में शुल्क के स्वरूप और मात्रा में संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया था, वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियां भिन्न हैं और ऐसे संशोधनों को आवश्यक बनाती हैं।
- vi. प्राधिकारी ने पूर्व में शुल्क के स्वरूप को संदर्भ कीमत से नियत शुल्क में संशोधित किया है (कास्टिक सोडा, सीपीवीसी, मेजरिंग टेप, मेलामाइन, एमडीएफ, पीटीएफई, फिनोल, सोडियम नाइट्राइट, विस्कोस फिलामेंट यार्न)। प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षाओं में शुल्क की मात्रा में भी वृद्धि की है (कास्टिक सोडा, पीटीएफई, एट्राजीन (प्रतिसंतुलनकारी शुल्क), ग्लास फाइबर)।
- vii. संबद्ध देश के निर्यातक शुल्क के भुगतान से बचने के लिए अनुचित बिक्री पद्धतियों का सहारा ले रहे हैं।
- viii. चूंकि संदर्भ कीमत शुल्क तभी लागू होता है जब आयातों की कीमत नियत सीमा से कम हो, इसलिए चीनी निर्यातक पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करने से बचने के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित बेंचमार्क से मामूली रूप से अधिक निर्यात कीमत घोषित कर रहे हैं।
- ix. तथापि, ऐसी कीमत केवल सीमा शुल्क पत्तन पर घोषित की जा रही है और यह वह कीमत नहीं है जो ग्राहकों को प्रस्तावित की जाती है। ग्राहकों को प्रस्तावित वास्तविक कीमत सीमा शुल्क पत्तन पर घोषित कीमत से काफी कम है।
- x. ऐसे कम कीमत वाले आयात अंततः बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और घरेलू उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
- xi. चीनी निर्यातक यूएई और सिंगापुर जैसे तीसरे देशों के माध्यम से संबद्ध वस्तु के यानांतरण का भी सहारा ले रहे हैं।
- xii. प्रस्तुत की गई विस्तृत बाजार अनुसंधान रिपोर्टें दर्शाती हैं कि ऐसे देशों में कोई उत्पादन सुविधा नहीं है और सभी निर्यात केवल व्यापारियों के माध्यम से किए जा रहे हैं।
- xiii. किसी उत्पादन सुविधा के अभाव में निर्यात की पर्याप्त मात्रा स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि तीसरे देशों के व्यापारी शुल्क के भुगतान से बचने के लिए चीनी वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं।

- xiv. ऐसे आयातों की मात्रा और कीमत को संबद्ध आयातों के भाग के रूप में माना जाना चाहिए।
- xv. शुल्क को अमरीकी डॉलर/मी.ट. में निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि निर्यातक अमरीकी डॉलर में लेनदेन करते हैं; रुपये के अवमूल्यन के साथ भारतीय रुपये में निर्धारित शुल्क अप्रभावी हो जाएगा।
- xvi. विनिमय दर ने घरेलू उद्योग को कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव से संरक्षण प्रदान नहीं किया है।
- xvii. सहयोगी निर्यातक के लिए वैयक्तिक शुल्क का निर्धारण सत्यापन के पश्चात किया जा सकता है, किंतु वर्तमान जांच अवधि के पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के आधार पर, न कि केवल पूर्ववर्ती शुल्क को जारी रखकर। ऐसा कोई भी विभेदकारी व्यवहार, जिसमें सहयोगी निर्यातक के लिए पुराना शुल्क जारी रखा जाए जबकि अन्य के लिए शुल्क संशोधित किया जाए, भेदभावपूर्ण होगा।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

28. इस तर्क के संबंध में कि शुल्क को जारी रखना एक अपवाद है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम की धारा 9क(5) और नियमावली का नियम 23(1ख), पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के अनुरूप, यह उपबंध करते हैं कि शुल्क पांच वर्ष के पश्चात समाप्त हो जाएगा जब तक कि प्राधिकारी किसी समीक्षा में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। न तो कानून और न ही जिस न्यायशास्त्र पर भरोसा किया गया है, वह समीक्षाओं की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित करता है अथवा सकारात्मक साक्ष्य की वस्तुनिष्ठ जांच पर आधारित सकारात्मक संभावना निर्धारण से परे परिस्थितियों को सिद्ध करने की अपेक्षा करता है। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में ऐसी जांच की है, जैसा कि आगामी खंडों में निर्धारित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि लगभग 10 वर्षों से पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद, वर्तमान अवधि में आयातों की मात्रा निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में, दोनों ही दृष्टि से काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग काफी कम है, जो देश में पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण उत्पादन क्षमताओं के घोर अल्प-उपयोग को दर्शाता है। वर्तमान अवधि में घरेलू उद्योग के आर्थिक निष्पादन में गिरावट आई है, जैसा कि इसमें संगत पैराग्राफों में विस्तार से जांच की गई है।
29. घरेलू उद्योग ने बाजार अनुसंधान रिपोर्ट रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की है, जो (क) इन देशों में उत्पादन सुविधाओं के अभाव, (ख) भारत को उत्पाद का निर्यात करने वाली कंपनियों के नाम (आयात संबंधी बाजार स्रोत आंकड़ों के आधार पर), और (ग) व्यापारिक कंपनी के प्रचालनों के स्वरूप को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की “द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम” शीर्षक वाली एक रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की है, जिसमें यह नोट किया गया है कि भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करने वाले विभिन्न तीसरे देश नियमित रूप से चीनी वस्तुओं के यानांतरण में संलिप्त हैं। इस मामले की जांच की गई है। यानांतरण के दावे के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजी सिस्टम्स से प्राप्त आयात आंकड़ों में यूएई और सिंगापुर के मूल के रूप में घोषित विचाराधीन उत्पाद के आयात दर्ज हैं। यद्यपि घरेलू उद्योग ने इन देशों में उत्पादन सुविधाओं के अभाव और निर्यातकों के व्यापारिक स्वरूप के संबंध में बाजार अनुसंधान रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि लेनदेन के स्तर पर वस्तुओं के मूल का निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है। प्राधिकारी ने वर्तमान निर्धारण के प्रयोजनार्थ केवल उन्हीं आयातों को संबद्ध आयात माना है जो चीन जनवादी गणराज्य के मूल के रूप में दर्ज हैं। घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क के परिवर्तन के विधिवत रूप से प्रमाणित साक्ष्य के साथ नियमावली के नियम 25 के अंतर्गत प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है।

30. घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के कारण निरंतर हो रही क्षति के निवारण के लिए शुल्क के स्वरूप में परिवर्तन का अनुरोध किया है। वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्क संदर्भ कीमत के रूप में है, जिसके अंतर्गत जहां पहुंच मूल्य संदर्भ कीमत से कम है, वहां संदर्भ कीमत और आयातों के पहुंच मूल्य के अंतर के बराबर शुल्क लगाया जाता है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि 10 वर्षों से शुल्क लागू होने के बावजूद, वर्तमान शुल्क पर्याप्त मात्रा में जारी आयातों के निवारण में अप्रभावी रहा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि शुल्क के बेंचमार्क स्वरूप के कारण, चीनी निर्यातकों ने अपनी कीमतों को प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित संदर्भ कीमत के अनुरूप कर लिया है। इस प्रकार, सीमा शुल्क पत्तन पर घोषित की जा रही आयात कीमतें संदर्भ कीमत के स्तर पर अथवा उससे थोड़ी अधिक हैं, जबकि बाजार में ग्राहकों को प्रस्तावित वास्तविक पुनर्विक्री कीमत काफी कम है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि कम कीमत वाले आयातों की उपस्थिति के कारण उसे निरंतर क्षति का सामना करना पड़ रहा है। अन्य हितबद्ध पक्षकार ने यह दावा किया है कि शुल्क के स्वरूप में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि संदर्भ कीमत के रूप में शुल्क घरेलू उद्योग के अनुरोध पर अधिरोपित किया गया था। यह भी कहा गया है कि यदि शुल्क में संशोधन किया जाता है, तो एकमात्र सहयोगी उत्पादक होने के नाते जेएससी को वैयक्तिक दर प्रदान की जानी चाहिए।
31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान में लागू संदर्भ कीमत मूल जांच अवधि (जनवरी-दिसंबर 2014) की लागत और कीमत स्थितियों के आधार पर निर्धारित की गई थी। वे स्थितियां अब एक दशक से अधिक पुरानी हैं। वर्तमान समीक्षा का रिकॉर्ड दर्शाता है कि जांच अवधि के दौरान अधिकांश संबद्ध आयात संदर्भ कीमत के बराबर अथवा उसके निकट पहुंच मूल्यों पर आए। इससे यह संकेत मिलता है कि घोषित आयात कीमतें बाजार की स्थितियों को प्रतिबिंबित करने के बजाय संदर्भ कीमत की ओर झुक रही हो सकती हैं। साथ ही, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है, और संबद्ध आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। ये तथ्य इस संबंध में प्रश्न उठाते हैं कि क्या शुल्क का वर्तमान स्वरूप क्षति के निवारण में अभी भी प्रभावी है।
32. यह तथ्य कि मूल जांच में घरेलू उद्योग के अनुरोध पर संदर्भ कीमत का स्वरूप अपनाया गया था, इस समीक्षा में प्राधिकारी को बाध्य नहीं करता है। शुल्क के स्वरूप का निर्णय वर्तमान कार्यवाही के रिकॉर्ड के आधार पर, और इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाना है कि उपाय ने अपनी अवधि के दौरान वास्तव में किस प्रकार कार्य किया है।
33. जेएससी के इस तर्क के संबंध में कि भारतीय रुपये के अवमूल्यन से रुपये के संदर्भ में संदर्भ कीमत में लगभग 55% की वृद्धि हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच की जांच अवधि में विनिमय दर 61.59 थी, जबकि पिछली निर्णायक समीक्षा की जांच अवधि में यह 73.17 थी। वर्तमान जांच अवधि में विनिमय दर 86.76 है। इस प्रकार, मूल जांच की तुलना में विनिमय दर में 41% की वृद्धि हुई है, और पिछली निर्णायक समीक्षा की तुलना में 19% की वृद्धि हुई है। अतः यह कहना गलत है कि परिवर्तन 55% है। इसके अतिरिक्त, संगत तुलना आयातों की पहुंच कीमत और वर्तमान क्षतिरहित कीमत के बीच है, जिन दोनों का निर्धारण जांच अवधि के लिए नए सिरे से और भारतीय रुपये के संदर्भ में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच अवधि में अधिकांश आयात लागू बेंचमार्क के अत्यंत निकट की कीमत पर हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अमरीकी डॉलर में निर्धारित शुल्क उनकी स्थापित पद्धति के अनुरूप है, क्योंकि निर्यात लेनदेन अमरीकी डॉलर में होते हैं।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

34. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

छ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

35. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 और 8 के अनुसार, चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर, अथवा जहां यह संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से संदत्त अथवा संदेय कीमत शामिल है, जिसे उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया हो, किया जाना अपेक्षित है, जब तक कि उत्तरदाता चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। चूंकि एकमात्र सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है, इसलिए सहयोगी उत्पादक के साथ-साथ अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

छ.3.1. चीन जनवादी गणराज्य के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार और सामान्य मूल्य

36. विश्व व्यापार संगठन में चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 निम्नानुसार उपबंध करता है:

“गैट 1994 का अनुच्छेद VI, शुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार (“पाटनरोधी करार”) तथा एससीएम करार किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीनी मूल के आयातों से संबंधित कार्यवाहियों में निम्नलिखित के अनुरूप लागू होंगे:

गैट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता का निर्धारण करने में, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य निम्नलिखित नियमों के आधार पर या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों अथवा लागतों का प्रयोग करेगा अथवा ऐसी पद्धति का प्रयोग करेगा जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ कठोर तुलना पर आधारित न हो:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य कीमत तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों अथवा लागतों का प्रयोग करेगा;

(ii) यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य ऐसी पद्धति का प्रयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ कठोर तुलना पर आधारित न हो।

एससीएम करार के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में, अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में वर्णित सब्सिडियों पर विचार करते समय, एससीएम करार के संगत उपबंध लागू होंगे; तथापि, यदि उसके अनुप्रयोग में विशेष कठिनाइयां हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान और मापन के लिए ऐसी पद्धतियों का प्रयोग कर सकता है जिनमें इस संभावना को ध्यान में रखा गया हो कि चीन में विद्यमान निबंधन और शर्तें सदैव उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में उपलब्ध न हों। ऐसी पद्धतियों को लागू करते समय, जहां व्यवहार्य हो, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य को चीन से बाहर विद्यमान निबंधनों और शर्तों के प्रयोग पर विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधनों और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी पद्धतियों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा और उप-पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

एक बार चीन द्वारा आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत यह स्थापित कर दिए जाने पर कि वह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, उप-पैराग्राफ (क) के उपबंध समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में परिग्रहण की तारीख की स्थिति के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड अंतर्विष्ट हों। किसी भी स्थिति में, उप-पैराग्राफ (क)(ii) के उपबंध परिग्रहण की तारीख से 15 वर्ष के पश्चात समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि चीन आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में यह स्थापित कर देता है कि किसी विशिष्ट उद्योग अथवा क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो उप-पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी उपबंध उस उद्योग अथवा क्षेत्र पर अब लागू नहीं होंगे।”

37. आवेदकों ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। आवेदकों द्वारा यह कहा गया है कि यदि उत्तरदाता चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना बाजार द्वारा संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के उपबंधों के अनुसार की जानी चाहिए।
38. वर्तमान मामले में, चीन के एकमात्र सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार किया गया है, जिसमें निम्नानुसार उल्लेख है:

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर, अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर, अथवा जहां यह संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से संदत्त अथवा संदेय कीमत शामिल है, जिसे उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो, विधिवत रूप से समायोजित किया गया हो, किया जाएगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबंधित देश के विकास के स्तर और संबंधित उत्पाद को ध्यान में रखते हुए एक उचित तरीके से उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी भी विश्वसनीय सूचना पर समुचित रूप से विचार किया जाएगा। जहां उपयुक्त हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में समान मामले में की गई जांच, यदि कोई हो, पर

समय-सीमा के भीतर विचार किया जाएगा। जांच के पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उचित समय दिया जाएगा।”

39. वर्तमान मामले में, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में विद्यमान कीमत अथवा परिकलित मूल्य का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद का कोई समर्पित टैरिफ कोड नहीं है, जिससे किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत पर विचार किया जा सके। अतः, प्राधिकारी ने आवेदकों की उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करते हुए, भारत में संदेय कीमत के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

छ.3.2. निर्यात कीमत

40. वैयक्तिक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक की निर्यात कीमत के निर्धारण की ओर अग्रसर होने से पूर्व, प्राधिकारी निम्नलिखित को दर्ज करना उचित समझते हैं। एकमात्र सहयोगी उत्पादक, Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co. Limited ने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का [***] निर्यात किया है। इसकी तुलना में, जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का कुल आयात 1,53,069 मी.ट. है, सहयोगी उत्पादक का निर्यात संबद्ध देश से कुल आयात का लगभग 5% है, और शेष निर्यात उन उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा किया गया है जिन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिन उत्पादकों/निर्यातकों ने पूर्ववर्ती जांचों में भाग लिया था, उन्होंने भारत को वस्तु का निर्यात जारी रखा है, किंतु वर्तमान समीक्षा में भाग न लेने का विकल्प चुना है। तदनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोगी उत्पादक की निर्यात कीमत केवल उसके द्वारा निर्यातित अत्यंत अल्प मात्रा की प्रतिनिधि है, और इसे संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के समग्र आयातों का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता है।

जियांगसू चेंगदे स्टील ट्यूब शेयर कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

41. जियांगसू चेंगदे स्टील ट्यूब शेयर कंपनी लिमिटेड (“जेएससी”) चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तु का उत्पादक और निर्यातक है। इसने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को विचाराधीन उत्पाद का [***] सीधे निर्यात किया है। उत्पादक ने समीक्षा की अवधि के दौरान केवल 2 पीसीएन का निर्यात किया है।

जेएससी → भारत में असंबद्ध ग्राहक

42. जेएससी ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा और पत्तन प्रहस्तन, ऋण लागत तथा बैंक प्रभारों के कारण समायोजनों का दावा किया है। डेस्क सत्यापन के अनुसरण में प्रस्तुत नमूना दस्तावेजों के संदर्भ में समायोजनों का सत्यापन किया गया है। प्राधिकारी ने जियांगसू चेंगदे द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत की गणना की है और उसकी तुलना संबंधित पीसीएन के सामान्य मूल्य के साथ की है। तदनुसार, भारित औसत पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

चीन जनवादी गणराज्य के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

43. चीन जनवादी गणराज्य के उन अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, जिन्होंने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है, निर्यात कीमत का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे किया गया है।

छ.3.3. पाटन मार्जिन

44. उपर्युक्त अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और यथानिर्धारित निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(अमरीकी डॉलर/मी.ट.)	(अमरीकी डॉलर/मी.ट.)	(अमरीकी डॉलर/मी.ट.)	(%)	(रेंज)
1.	जियांगसू चेंगदे स्टील ट्यूब शेयर कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	5-15%
2.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	65-75%

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद, उत्तरदाता निर्यातक और संबद्ध देश के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक हैं और न्यूनतम सीमा से अधिक हैं।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

46. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति, क्षति की पुनरावृत्ति अथवा उसके जारी रहने की संभावना और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

- घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में सुधार हुआ है: विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन 5,29,771 मी.ट. से बढ़कर 6,19,096 मी.ट. (17%) हो गया, घरेलू बिक्री 4,37,475 मी.ट. से बढ़कर 5,15,983 मी.ट. हो गई, क्षमता उपयोग 46% से बढ़कर 49% हो गया, प्रति दिन उत्पादकता 1,472 मी.ट. से बढ़कर 1,720 मी.ट. और प्रति कर्मचारी उत्पादकता 181 मी.ट. से बढ़कर 205 मी.ट. हो गई, जबकि मालसूची उत्पादन के 33 दिनों से घटकर 28 दिनों की हो गई। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा स्थिर रहा।
- कम क्षमता उपयोग का कारण घरेलू उद्योग के अपने क्षमता विस्तार संबंधी निर्णय हैं, न कि आयात।
- अन्य देशों से आयात चीन जनवादी गणराज्य से आयातों की तुलना में 9-24% सस्ते हैं और फिर भी उन्होंने चीनी आयातों को विस्थापित नहीं किया है, जो यह दर्शाता है कि चीनी वस्तुओं की मांग आपूर्ति की विश्वसनीयता और उत्पाद श्रृंखला से प्रेरित है, न कि कीमत से।

- iv. घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत में 33 सूचकांक अंकों की गिरावट आई है, जो उसकी घरेलू कीमत में गिरावट (18 सूचकांक अंक) का लगभग दोगुना है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में गिरावट वैश्विक बाजार स्थितियों के कारण है, न कि संबद्ध आयातों के कारण।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

47. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति, क्षति के जारी रहने की संभावना और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।
- i. शुल्क के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है और पिछली निर्णायक समीक्षा की तुलना में यह लगभग दोगुनी हो गई है।
 - ii. शुल्क के बावजूद संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है, जबकि अन्य देशों से आयातों की मात्रा में गिरावट आई है।
 - iii. पाटनरोधी शुल्क की उपस्थिति के बावजूद, पहुंच कीमत में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमत कम करने के लिए बाध्य हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी लाभप्रदता में गिरावट आई है।
 - iv. यद्यपि क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत में गिरावट आई, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट की दर उसकी लागत में गिरावट की दर से अधिक थी।
 - v. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि के बावजूद, पर्याप्त क्षमता होने पर भी घरेलू उद्योग अपनी क्षमता के केवल आधे से कम भाग का ही उपयोग कर सका, जिसके परिणामस्वरूप नियत लागत अधिक रही।
 - vi. बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त क्षमता और मांग-आपूर्ति में कोई अंतर न होने के बावजूद घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आई।
 - vii. निरंतर पाटन के कारण, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तीव्र गिरावट आई है।
 - viii. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ में 98% की गिरावट आई, जबकि नकद लाभ में भी 81% की गिरावट आई।
 - ix. 30 वर्ष से भी अधिक पूर्व स्थापित, काफी हद तक मूल्यह्रासित संयंत्रों पर प्रचालन करने के बावजूद, घरेलू उद्योग पाटित आयातों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण उचित आय अर्जित करने में असमर्थ है।
 - x. घरेलू उद्योग द्वारा दर्ज की गई वर्तमान आय सामान्य बचत खातों पर उपलब्ध व्याज से भी कम है।
 - xi. कीमत में कमी के कारण घरेलू उद्योग के लाभ मार्जिन में काफी गिरावट आई।
 - xii. घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है।
 - xiii. किसी अन्य कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है, और ऐसी क्षति केवल संबद्ध आयातों के कारण है।

- xiv. अन्य देशों से आयात देश में कुल आयातों का मात्र 7% है और इसलिए, वे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। पूरी संभावना है कि उनका उत्पादन चीन में किया गया है और शुल्क से बचने के लिए उनका केवल तीसरे देश से यानांतरण किया गया है।
- xv. वैश्विक कीमतों में गिरावट पाटन को नकारती नहीं है, क्योंकि संबद्ध आयात सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत से कम कीमत पर भारत में प्रवेश करना जारी रखे हुए हैं, जिससे घरेलू उद्योग अपनी कीमतें कम करने और क्षति उठाने के लिए बाध्य हो रहा है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

48. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट किया है। क्षति विश्लेषण नियमावली के नियम 11 और अनुबंध-II के अनुसार, पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव, और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। निर्णायक समीक्षा में, जहां पाटनरोधी शुल्क लागू है, प्राधिकारी से यह जांच करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या शुल्क के बावजूद क्षति जारी रही है, और क्या शुल्क को समाप्त होने दिए जाने की स्थिति में क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।

ज.3.1. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

49. प्राधिकारी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में किया है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु की कैप्टिव खपत नहीं की है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	437,475	440,731	479,876	512,767
अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	25,406	25,595	27,868	29,778
संबद्ध आयात	मी.ट.	100,118	168,986	138,913	153,069
अन्य आयात	मी.ट.	46,010	76,315	66,577	54,003
कुल मांग	मी.ट.	609,009	711,627	713,234	749,617

50. क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में 23% की वृद्धि हुई है।

ज.3.2. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

51. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या पाटित आयातों में निरपेक्ष रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयात की मात्रा नीचे दिए अनुसार है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
संबद्ध आयात	मी.ट.	100,118	168,986	138,913	153,069

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
अन्य आयात	मी.ट.	46,010	76,315	66,577	54,003
कुल आयात	मी.ट.	146,128	245,301	205,490	207,072
संबद्ध आयातों का निम्नलिखित के संबंध में अनुपात:					
– कुल आयात	%	69%	69%	68%	74%
– भारतीय उत्पादन	%	18%	33%	25%	23%
– भारतीय खपत	%	16%	24%	19%	20%

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप से 53% की वृद्धि हुई है, और यह वृद्धि मांग में वृद्धि (23%) की तुलना में अधिक दर पर हुई है। भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में भी संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है, और क्षति अवधि के दौरान कुल आयातों में उनका हिस्सा बढ़कर 74% हो गया। देश में मांग-आपूर्ति का कोई अंतर न होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमताओं का काफी अल्प-उपयोग हो रहा है, और घरेलू उद्योग उत्पाद की बिक्री उस कीमत से काफी कम पर कर रहा है जो घरेलू उद्योग को निवेश पर उचित आय प्रदान करती (जांच अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित आय काफी कम थी)। जहां घरेलू उद्योग की बिक्री में केवल 17% की वृद्धि हुई, वहीं पाटित आयातों में 53% की वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि आयात कीमतों को बेंचमार्क के अनुरूप किया जा रहा है और व्यावहारिक रूप से पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बिना आयात किए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई है।

ज.3.3. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

53. पाटित आयातों के कीमत प्रभाव की जांच सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के पैरा (ii) के अनुसार की गई है, जो निम्नानुसार उपबंध करता है:

“पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय, उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में निरपेक्ष रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और नियम 18 के उप-नियम (2) में यथानिर्दिष्ट कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा उल्लेखनीय कीमत कटौती की गई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में उल्लेखनीय मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमतों में उस वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा उल्लेखनीय मात्रा में हुई होती।”

54. उपर्युक्त उपबंध के पठन से यह स्पष्ट होता है कि पाटित आयातों के कीमत प्रभाव की जांच तीन स्वतंत्र और वियोजक मापदंडों, अर्थात् (क) उल्लेखनीय कीमत कटौती, (ख) उल्लेखनीय कीमत ह्रास, और (ग) उल्लेखनीय कीमत न्यूनीकरण, अर्थात् कीमतों में उस वृद्धि को रोकना जो अन्यथा हुई होती, के संदर्भ में की जानी है। उक्त मापदंड वियोजक अभिव्यक्ति “अथवा” द्वारा जुड़े हुए हैं, और इनमें से किसी एक का भी विद्यमान होना यह सिद्ध करने के

लिए पर्याप्त है कि पाटित आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः, किसी विशिष्ट अवधि में कीमत कटौती का अभाव कीमत ह्रास अथवा कीमत न्यूनीकरण संबंधी जांच परिणाम को अपवर्जित नहीं करता है।

कीमत कटौती

55. कीमत कटौती का निर्धारण जांच अवधि के लिए पीसीएन-वार संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ करके किया गया है। पहुंच कीमत का निर्धारण डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार सीआईएफ मूल्य के आधार पर, लागू मूल सीमा शुल्क और समाज कल्याण अधिभार को जोड़कर किया गया है।

पीसीएन	आयात की मात्रा (मी.ट.)	पहुंच कीमत (रुपये/मी.ट.)	निवल बिक्री कीमत (रुपये/मी.ट.)	कीमत कटौती (रुपये/मी.ट.)	कीमत कटौती (%)	कीमत कटौती (रेंज)
A-1-5	1,33,370	87,323	***	***	***	नकारात्मक
A-1-6	16,278	1,06,858	***	***	***	5-15%
A-1-7	2,031	1,67,556	***	***	***	नकारात्मक
A-1-8	1,390	1,28,160	***	***	***	10-20%
कुल	1,53,069	90,850		***	***	नकारात्मक

56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीएन A-1-5 और A-1-7 के लिए आयातों की भारित औसत पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से अधिक है। तथापि, पीसीएन A-1-6 और A-1-8 के संबंध में संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। समग्र रूप से, कीमत कटौती नकारात्मक है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि आयात कीमतों को बेंचमार्क के अनुरूप कर दिया गया है और आयात ऐसे व्यापारियों द्वारा किए जा रहे हैं जो आयातित उत्पाद की पुनर्विक्री आयातों की पहुंच कीमत से कम कीमत पर कर रहे हैं। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि चूंकि आयातित उत्पाद की पुनर्विक्री कम कीमत पर की जा रही है, इसलिए घरेलू उद्योग कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए बाध्य हो रहा है।

कीमत न्यूनीकरण और ह्रास

57. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में उल्लेखनीय मात्रा में ह्रास कर रहे हैं अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमत का उल्लेखनीय मात्रा में न्यूनीकरण करना अथवा कीमतों में उस वृद्धि को रोकना है जो सामान्य स्थिति में अन्यथा हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति में परिवर्तनों की जांच की है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
बिक्री लागत	रुपये/मी.ट.	***	***	***	***

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	91	92
निवल बिक्री कीमत	रुपये/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	83	82
पहुंच कीमत	रुपये/मी.ट.	102,242	92,446	91,910	90,850
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	90	89

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत में गिरावट आई है। तथापि, काफी कम कीमत वाले आयातों की उपस्थिति के कारण, बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट की तुलना में काफी अधिक दर पर हुई। यह देखा गया है कि जहां बिक्री लागत में 8% की गिरावट आई, वहीं आयात कीमत में गिरावट के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 18% की गिरावट आई। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि जांच अवधि में आयात कीमतों को पाटनरोधी शुल्क के भुगतान से बचने के लिए बेंचमार्क के अनुरूप किया गया था और आयातित उत्पाद की पुनर्विक्री बाजार में आयात कीमतों से कम कीमत पर की गई है। इस प्रकार, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत के बीच का मार्जिन तीव्र रूप से कम हो गया।

ज.3.4. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

59. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी, जिसमें उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन शामिल है, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों का विश्लेषण नीचे किया गया है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
संस्थापित क्षमता	मी.ट.	17,65,000	17,65,000	17,65,000	17,65,000
उत्पादन (विचाराधीन उत्पाद + गैर-विचाराधीन उत्पाद)	मी.ट.	792,470	748,415	828,577	851,440
क्षमता उपयोग	%	45%	42%	47%	48%
उत्पादन – विचाराधीन उत्पाद	मी.ट.	526,959	489,681	538,121	617,542
घरेलू बिक्री	मी.ट.	437,475	440,731	479,876	512,767

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
निर्यात बिक्री	मी.ट.	95,000	51,344	64,212	91,311

60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता अपरिवर्तित रही। तथापि, घरेलू उद्योग के पास देश में वर्तमान और संभावित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं। आयातों की रूपरेखा दर्शाती है कि अधिकांश (88%) आयात उद्योग के सबसे मूलभूत उत्पाद (हॉट रोलड लाइन पाइप) के हैं। यह उत्पाद घरेलू उद्योग का भाग बनने वाले सभी घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा है।
61. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई। तथापि, जहां उत्पाद की मांग में 23% की वृद्धि हुई, वहीं घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में केवल 17% की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान अपनी संस्थापित क्षमता के 50% से कम पर प्रचालन किया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि अल्प-उपयोग घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार के कारण है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना द्वारा समर्थित नहीं है। संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता स्थिर रही है। संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम रहा है।

ख. बाजार हिस्सा

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
घरेलू उद्योग	%	72%	62%	67%	68%
अन्य भारतीय उत्पादक	%	4%	4%	4%	4%
संबद्ध आयात	%	16%	24%	19%	20%
अन्य आयात	%	8%	11%	9%	7%

62. मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में 72% से घटकर जांच अवधि में 68% हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा 16% से बढ़कर 20% हो गया।

ग. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

63. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय नीचे दी गई तालिका के अनुसार हैं।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
बिक्री लागत	रुपये/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	91	92
बिक्री कीमत	रुपये/मी.ट.	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	83	82
लाभ/(हानि)	रुपये/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	21	6
लाभ/(हानि)	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	23	6
नकद लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	36	24
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	31	17

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रत्येक लाभप्रदता मापदंड में निरंतर और तीव्र गिरावट आई:

- क. प्रति मी.ट. लाभ 2022-23 में *** रुपये से घटकर जांच अवधि में *** रुपये हो गया, जो लगभग 94% की गिरावट है। कुल लाभ *** लाख रुपये से घटकर *** लाख रुपये हो गया, जो लगभग 94% की गिरावट है।
- ख. नकद लाभ *** लाख रुपये से घटकर *** लाख रुपये हो गया, जो लगभग 76% की गिरावट है। इससे उद्योग के प्रचालनों को बनाए रखने और निवेश के वित्तपोषण हेतु उसके आंतरिक संसाधनों में कमी आई है।
- ग. नियोजित पूंजी पर आय ***% से घटकर ***% हो गई, जो लगभग 83% की गिरावट है। ***% की आय पूंजी की किसी भी उचित लागत से कम है और यह दीर्घावधि में उद्योग के प्रचालनों को बनाए नहीं रख सकती है।

65. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उसके लाभ मार्जिन में तीव्र गिरावट इसलिए आई क्योंकि बढ़ती मात्रा में पाटित आयातों ने उसे अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य किया, और क्योंकि पाटनरोधी शुल्क का वर्तमान स्वरूप अप्रभावी रहा है। उसका तर्क है कि आयातकों ने अपनी घोषित आयात कीमतों को प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित बेंचमार्क के अनुरूप कर लिया, किंतु आयातित उत्पाद की पुनर्विक्री उन घोषित कीमतों से कम पर की। उसके अनुसार, इससे घरेलू उद्योग क्षतिकारी कीमतों पर बिक्री करने के लिए बाध्य हुआ। निवल बिक्री प्राप्ति पर घरेलू उद्योग का लाभ मार्जिन 2022-23 में ***% से घटकर जांच अवधि में नगण्य ***% हो गया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
निवल बिक्री प्राप्ति	रुपये/मी.ट.	***	***	***	***
कर-पूर्व लाभ	रुपये/मी.ट.	***	***	***	***

लाभ मार्जिन	%	***	***	***	***
लाभ मार्जिन	सूचीबद्ध	100	93	25	7

घ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

66. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है, जो नीचे दी गई है:

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
कर्मचारियों की संख्या	सं.	2,930	2,882	2,814	3,018
वेतन और मजदूरी	लाख रुपये	21,979	22,655	22,686	24,804
प्रति दिन उत्पादकता	मी.ट./दिन	1,464	1,360	1,495	1,715
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट./सं.	180	170	191	205

67. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या और उसके द्वारा संदत्त मजदूरी में वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान उत्पादन में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने इस आधार पर क्षति का दावा नहीं किया है।

ड. मालसूची

68. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची नीचे दी गई तालिका के अनुसार है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
आरंभिक मालसूची	मी.ट.	53,401	48,258	45,335	37,762
अंतिम मालसूची	मी.ट.	48,258	45,335	38,604	52,125
औसत मालसूची	मी.ट.	50,829	46,796	41,969	44,943
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	83	88

69. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में गिरावट आई है।

च. वृद्धि

70. मात्रात्मक और लाभप्रदता मापदंडों की दृष्टि से घरेलू उद्योग की वृद्धि निम्नानुसार है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
संस्थापित क्षमता	%	-	0%	0%	0%
उत्पादन	%	-	-7%	10%	15%
घरेलू बिक्री	%	-	1%	9%	7%
प्रति इकाई लाभ/(हानि)	%	-	-12%	-77%	-73%

नकद लाभ	%	-	-5%	-62%	-33%
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	-5%	-68%	-46%

71. यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की वृद्धि को प्रभावित किया है। यद्यपि मात्रात्मक मापदंडों में वृद्धि सकारात्मक है, आयातों में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है, जो यह दर्शाता है कि निरंतर पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त, कीमत संबंधी मापदंडों में वृद्धि नकारात्मक है। घरेलू उद्योग को अर्जित लाभ में उल्लेखनीय गिरावट का सामना करना पड़ा है और उसने अपनी नियोजित पूंजी पर अत्यंत कम आय दर्ज की है।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

72. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग ने काफी कम लाभ और नकद लाभ अर्जित किया है। इस प्रकार, आयातों ने भविष्य में पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

ज. पाटन की मात्रा

73. संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक और उल्लेखनीय हैं, जैसा कि उपर्युक्त खंड-छ में निर्धारित है।

ज.3.5. क्षति मार्जिन की मात्रा

74. प्राधिकारी ने यथासंशोधित नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण हेतु, क्षति अवधि के दौरान कच्ची सामग्री और यूटिलिटीज के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है; क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है; असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्ययों को अपवर्जित किया गया है; और अनुबंध-III में यथानिर्धारित, विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी पर उचित आय (22% की दर से कर-पूर्व) की अनुमति दी गई है।

75. जेएससी के लिए पहुंच कीमत का निर्धारण उसकी सत्यापित सीआईएफ निर्यात कीमत के आधार पर, डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में यथादर्ज उसके लेनदेनों पर लागू प्रभावी दरों पर मूल सीमा शुल्क और समाज कल्याण अधिभार को जोड़कर किया गया है। अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत का निर्धारण डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

76. उपर्युक्त अनुसार निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है और वह नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	क्षतिरहित कीमत	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		(अमरीकी डॉलर/मी.ट.)	(अमरीकी डॉलर/मी.ट.)	(अमरीकी डॉलर/मी.ट.)	(%)	(रेंज)
1.	जियांगसू चेंगदे स्टील ट्यूब शेयर कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
2.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	30-40%

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोगी निर्यातक के लिए क्षति मार्जिन मामूली रूप से नकारात्मक है, और असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सकारात्मक है।

ज.3.6. क्षति का विश्लेषण

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है। आयात मुख्यतः हॉट फिनिशड लाइन पाइप के हैं, जो घरेलू उद्योग का प्रमुख उत्पाद है। आयातों की भारित औसत पहुंच कीमत के आधार पर कीमत कटौती नकारात्मक है। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि आयात मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किए गए हैं, आयात कीमतों को प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित बेंचमार्क के अनुरूप किया गया है और आयातित उत्पाद की पुनर्विक्री आयात कीमत से कम कीमत पर की गई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग उत्पाद की बिक्री कम कीमतों पर करने के लिए बाध्य हुआ है। संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया है, जिससे घरेलू उद्योग अपनी लागतों में गिरावट की तुलना में काफी अधिक दर पर अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य हुआ है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने उत्पादन और बिक्री में वृद्धि दर्ज की है, तथापि उसके बाजार हिस्से में कमी आई है और उसने संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान 50% से कम क्षमता उपयोग पर प्रचालन किया है, जबकि घरेलू उद्योग देश में इस मांग को पूरा कर सकता था। लाभ, नकद लाभ और पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में अत्यंत तीव्र गिरावट आई है। नियोजित पूंजी पर आय घरेलू उद्योग के दीर्घकालिक प्रचालनों के लिए आधारणीय स्तर पर है। इस प्रकार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होती रही है और वर्तमान क्षति अवधि में उसके निष्पादन में गिरावट आई है।

झ. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना**झ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

79. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए अनुसार हैं।

- क्षति अवधि के दौरान जेएससी के भारत को निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है।
- जेएससी की संस्थापित क्षमता और उसका उपयोग स्थिर रहा है, जिससे भारत की ओर विपथन हेतु कोई सार्थक अधिशेष क्षमता नहीं बचती है।

- iii. जेएससी की भारत को निर्यात कीमत चीन जनवादी गणराज्य में उसकी घरेलू कीमत से लगभग 30% अधिक है, और भारत जेएससी के लिए एक प्रीमियम बाजार है।
- iv. घरेलू उद्योग द्वारा जिन आंकड़ों पर भरोसा किया गया है, वे समग्र, वृहद-स्तरीय आंकड़े हैं जो जेएससी के आचरण को संबोधित नहीं करते हैं। अनुमानित हानि का परिदृश्य काल्पनिक है और निराधार मान्यताओं पर आधारित है।

अ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

80. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए अनुसार हैं।

- i. चीन के निर्यातकों का पाटन का इतिहास रहा है, जो मूल जांच और पहली निर्णायक समीक्षा में परिकलित उल्लेखनीय पाटन मार्जिनों से स्पष्ट है।
- ii. आयातों की मात्रा में वृद्धि की दर देश में मांग में वृद्धि की दर से अधिक रही है, जो यह इंगित करता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में, संबद्ध आयात भारतीय बाजार में बड़ी मात्रा में आ जाएंगे।
- iii. शुल्क की समाप्ति से भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु के पाटन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी क्योंकि चीन के उत्पादकों के पास बड़ी उत्पादन क्षमताएं हैं।
- iv. चीन के उत्पादकों के पास उल्लेखनीय अप्रयुक्त क्षमताएं हैं। निष्क्रिय क्षमताओं के क्षमता उपयोग में मामूली वृद्धि भी भारत की संपूर्ण मांग पर कब्जा कर सकती है और इस प्रकार, शुल्क की समाप्ति से संबद्ध वस्तु के भारत की ओर विपथन की संभावना है।
- v. चीन के उत्पादक मुख्यतः निर्यातोन्मुखी हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता का आधा भाग चीन में सीमित मांग के कारण निर्यात के लिए अभिप्रेत है।
- vi. संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको और यूक्रेन जैसे विभिन्न देशों ने चीन से आयातों के विरुद्ध व्यापार उपचारात्मक उपाय अधिरोपित किए हैं, जिससे चीनी वस्तुओं के लिए बाजार पहुंच प्रतिबंधित हो गई है।
- vii. संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और कनाडा सहित देशों ने अन्य टैरिफ और गैर-टैरिफ उपाय भी अधिरोपित किए हैं, जिससे चीनी उत्पादकों के लिए उपलब्ध बाजार और अधिक प्रतिबंधित हो गया है।
- viii. पाटनरोधी शुल्क के बावजूद, घरेलू उद्योग को तीव्र कीमत दबाव तथा घटती लाभप्रदता और आय का सामना करना पड़ रहा है, जिसके शुल्क को समाप्त होने दिए जाने की स्थिति में और गंभीर होने की संभावना है।
- ix. आयातों की पहुंच कीमत को देखते हुए, शुल्क की समाप्ति की स्थिति में, घरेलू उद्योग अपनी कीमत कम करने के लिए बाध्य होगा और उसे निवेश पर नकारात्मक आय के साथ हानि उठानी पड़ेगी।
- x. शुल्क की समाप्ति से पाटन के तीव्र होने और पहले से ही कमजोर घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने की संभावना है।

- xi. संभावना का विश्लेषण केवल एक उत्पादक, जिसका चीन से निर्यात में लगभग 5% हिस्सा है, की सीमित सूचना के आधार पर नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वह समग्र रूप से संबद्ध देश के लिए सूचना उपलब्ध नहीं कराता है।

झ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

81. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है, जिसमें प्राधिकारी से यह जांच करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। नियमावली में संभावना के विश्लेषण के लिए कोई विशिष्ट पद्धति निर्धारित नहीं की गई है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 और अधिनियम की धारा 9क(5) में उल्लिखित कारकों, और करार के अनुच्छेद 3.7 में निर्दिष्ट कारकों, अर्थात् पाटित आयातों में वृद्धि की दर, निर्यातकों की स्वतंत्र रूप से उपलब्ध क्षमता, आयातों की कीमतों और मालसूची को, जिस सीमा तक वे संगत हैं, ध्यान में रखते हुए संभावना की जांच की है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई सभी संगत सूचना की जांच की है और निम्नानुसार नोट किया है।
82. इन तर्कों के संबंध में कि जेएससी ने कोई बड़ा क्षमता विस्तार नहीं किया है, उसके पास कोई निष्क्रिय क्षमता नहीं है और उसकी निर्यात प्राप्ति उसकी घरेलू कीमतों से अधिक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संभावना का निर्धारण समग्र रूप से संबद्ध देश के संबंध में किया जाता है। संबद्ध आयातों में लगभग 5% हिस्सा रखने वाले एकल निर्यातक के आंकड़े स्वयं में देश-स्तरीय साक्ष्य के आधार पर स्थापित संभावना को नकार नहीं सकते हैं।

झ.3.1. शुल्क के बावजूद निरंतर पाटन

83. जांच अवधि के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन उत्तरदाता निर्यातक तथा अन्य उत्पादकों/निर्यातकों, दोनों के लिए सकारात्मक और उल्लेखनीय हैं। मूल जांच और पहली निर्णायक समीक्षा में भी पाटन मार्जिन उल्लेखनीय थे। इस प्रकार, निर्यातकों ने लंबी अवधि से पाटित कीमतों पर निर्यात करना जारी रखा है, और यह संभावना है कि शुल्क के अभाव में पाटन जारी रहेगा अथवा तीव्र होगा।

जांच	पाटन मार्जिन (रेंज)
मूल जांच	20 - 30%
पहली निर्णायक समीक्षा	25 - 35%

झ.3.2. संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि

84. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में 53% की वृद्धि हुई, जो मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक दर पर थी। इसके अतिरिक्त, जांच अवधि में आयातों की मात्रा पहली निर्णायक समीक्षा, जिसमें उत्पाद का व्यापक क्षेत्र शामिल था, की जांच अवधि में संबद्ध आयातों की संपूर्ण मात्रा से अधिक थी। इस प्रकार, संबद्ध आयात बढ़ती मात्रा में आना जारी रखे हुए हैं, जो पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर और अधिक वृद्धि की संभावना को इंगित करता है।

जांच	अवधि	आयातों की मात्रा (मी.ट.)
उत्पाद के व्यापक क्षेत्र सहित पहली निर्णायक समीक्षा	अप्रैल 2019 – सितंबर 2020	73,628

दूसरी निर्णायक समीक्षा	अक्तूबर 2024 – सितंबर 2025	1,53,069
------------------------	----------------------------	----------

यह भी देखा गया है कि कुल आयातों का 88% हॉट फिनिशड पाइपों का है। ये घरेलू उद्योग के प्रमुख उत्पाद हैं। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में अल्प अवधि में आयातों में वृद्धि की संभावना अधिक है।

अ.3.3. आयातों में वृद्धि की दर

85. यह देखा गया है कि इस अवधि के दौरान आयातों की मात्रा में निरंतर वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, आयातों की मात्रा में ऐसी वृद्धि मांग में वृद्धि की दर से अधिक है। जहां उत्पाद की मांग में 23% की वृद्धि हुई, वहीं आयातों में 53% की वृद्धि हुई। यदि शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है, तो आयातों की मात्रा न केवल बढ़ती रहेगी, बल्कि उसमें उल्लेखनीय तीव्रता भी आएगी और इससे घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में और कमी आएगी। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध देश के निर्यातकों ने भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन जारी रखा है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि उपर्युक्त से देखा जा सकता है, मूल जांच और पहली निर्णायक समीक्षा में निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन उल्लेखनीय था, जो पाटन की प्रवृत्ति को इंगित करता है। इस प्रकार, शुल्क की समाप्ति की स्थिति में, पाटन के जारी रहने और/अथवा तीव्र होने की संभावना है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
मांग	मी.ट.	609,009	711,627	713,234	749,617
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	117	123
संबद्ध आयात	मी.ट.	1,00,118	1,68,986	1,38,913	1,53,069
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	169	139	153

अ.3.4. चीनी उत्पादकों के पास उपलब्ध अधिशेष क्षमताएं

86. आवेदकों ने यह बताया है कि बाजार अनुसंधान एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार संबद्ध देश के उत्पादकों के पास 25.65 मिलियन मी.ट. की बड़ी उत्पादन क्षमताएं हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि कतिपय उत्पादकों की वैयक्तिक क्षमताएं भारत में मांग से अधिक हैं। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश में उत्पादन क्षमताएं भारत में मांग से काफी अधिक हैं। शुल्क की समाप्ति की स्थिति में ऐसी क्षमताओं का प्रयोग संबद्ध वस्तु के पाटन के लिए किया जा सकता है। प्राधिकारी जेएससी के इस तर्क को नोट करते हैं कि उसकी निर्यात प्राप्ति घरेलू बाजार की प्राप्ति से बेहतर है, जो यह दर्शाता है कि भारतीय बाजार चीनी उत्पादकों के लिए एक आकर्षक बाजार है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति न केवल चीनी उत्पादकों को अपनी उत्पादन क्षमताओं का उपयोग करने की अनुमति देगी, बल्कि वे अपनी वर्तमान बिक्री को भी भारतीय बाजार की ओर विपथित कर सकेंगे।

अ.3.5. उल्लेखनीय रूप से अल्प-प्रयुक्त क्षमताएं

87. आवेदकों ने आगे यह अनुरोध किया है कि चीनी उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा उनके पास उपलब्ध क्षमताओं से काफी कम है। यह देखा गया है कि संबद्ध देश के उत्पादकों के पास बड़ी निष्क्रिय क्षमताएं हैं जिनका उपयोग भारत को निर्यात बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

आंकड़े मिलियन मी.ट. में

विवरण	2024
क्षमता	25.65
उत्पादन	17.37
निष्क्रिय क्षमता	8.28
निष्क्रिय क्षमता (%)	32%
भारत में मांग के संबंध में निष्क्रिय क्षमता (%)	1103%

स्रोत: बाजार अनुसंधान एजेंसी की रिपोर्ट

झ.3.6. मुख्यतः निर्यात के लिए स्थापित क्षमताएं

88. आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि चीन में संबद्ध वस्तु की सीमित मांग को देखते हुए, संस्थापित क्षमताएं मुख्यतः संबद्ध वस्तु के निर्यात के लिए अभिप्रेत हैं। जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है, देश में कुल उत्पादन क्षमताओं का लगभग आधा भाग निर्यात के लिए अभिप्रेत है। आवेदकों ने यह दर्शाने के लिए ग्लोबल स्टील ट्रेड मॉनिटर की रिपोर्ट पर भी भरोसा किया है कि चीन विश्व स्तर पर इस्पात और इस्पात उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके अतिरिक्त, जेएससी ने यह तर्क दिया कि उसकी निर्यात प्राप्ति घरेलू प्राप्ति से बेहतर हैं। इस प्रकार, शुल्क की समाप्ति की स्थिति में, निर्यातों को भारत की ओर विपथित किया जा सकता है।

आंकड़े मिलियन मी.ट. में

विवरण	2024
क्षमता	25.65
खपत	13.30
निर्यात के लिए अभिप्रेत क्षमता	12.35
निर्यात के लिए अभिप्रेत क्षमता (%)	48%
भारतीय मांग के संबंध में निर्यात योग्य क्षमता (%)	1646%

स्रोत: बाजार अनुसंधान एजेंसी की रिपोर्ट

झ.3.7. तीसरे देशों में व्यापार उपचारात्मक उपाय

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तु के निर्यात पर यूरोपीय संघ, कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाटनरोधी और/अथवा प्रतिसंतुलनकारी उपाय लागू हैं। ऐसे शुल्कों के परिणामस्वरूप, उत्पादकों के लिए तीसरे देशों के बाजार सीमित हैं, जिससे भारत एक आकर्षक बाजार बन जाता है।

क्र. सं.	देश	उत्पाद	उपाय के अधिरोपण की तारीख	शुल्क
1.	यूरोपीय संघ	लोहे के सभी सीमलेस पाइप और ट्यूब	मई 2017	पाटनरोधी शुल्क – 29.2 से 54.9%
2.	कनाडा	सीमलेस लाइन पाइप	मार्च 2016	पाटनरोधी शुल्क – 351.4% तक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क – 12.10 से 989.97 आरएमबी/मी.ट.
3.	ब्राजील	गैर-मिश्र धातु कार्बन सीमलेस इस्पात पाइप	जुलाई 2016	पाटनरोधी शुल्क – 1009.29 से 1356.90 अमरीकी डॉलर/मी.ट.
		कंड्यूट्स के लिए सीमलेस कार्बन इस्पात पाइप	सितंबर 2011	पाटनरोधी शुल्क – 743 अमरीकी डॉलर/मी.ट.
4.	मैक्सिको	सीमलेस पाइप और ट्यूब	जनवरी 2014	पाटनरोधी शुल्क – 1568.92 अमरीकी डॉलर/मी.ट.
5.	यूक्रेन	हॉट-डिफॉर्म सीमलेस इस्पात पाइप	जून 2020	पाटनरोधी शुल्क - 51.52%
6.	संयुक्त राज्य अमेरिका	सीमलेस कार्बन और मिश्र धातु इस्पात लाइन और प्रेशर पाइप	नवंबर 2010	पाटनरोधी शुल्क – 98.37% तक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क – 13.66 से 57.67%

झ.3.8. तीसरे देशों द्वारा अधिरोपित अन्य उपाय

90. उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने धारा 232 के अंतर्गत इस्पात और इस्पात उत्पादों पर 50% का टैरिफ अधिरोपित किया है, यूरोपीय संघ ने कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) शुरू किया है, और कनाडा ने अतिरिक्त इस्पात टैरिफ शुरू किए हैं। प्रमुख आयात बाजारों के प्रतिबंधित होने के कारण, बढ़ती मांग वाला भारत शुल्क की समाप्ति की स्थिति में चीनी निर्यातों के विपथन के लिए एक आकर्षक बाजार है।

झ.3.9. घरेलू उद्योग की स्थिति निरंतर कमजोर बनी हुई है

91. यह देखा गया है कि शुल्क के बावजूद भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन जारी रहा है। बाजार में पाटित वस्तुओं का उल्लेखनीय हिस्सा है। परिणामस्वरूप, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों में अत्यंत उल्लेखनीय गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को अपनी उत्पादन क्षमताओं के उल्लेखनीय अल्प-उपयोग का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार, यदि शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है, तो संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग के निष्पादन पर और अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

झ.3.10. घरेलू उद्योग पर संभावित प्रभाव

92. आवेदकों ने यह दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क के बावजूद, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव उत्पन्न किया है, जिससे वह अपनी लाभप्रदता की कीमत पर अपने उत्पाद की बिक्री करने के लिए बाध्य हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि यदि शुल्क समाप्त होता है, तो घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में और कमी

करने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि आयातित उत्पाद की बिक्री आयात कीमत से काफी कम कीमतों पर की जा रही है। इससे उद्योग की लाभप्रदता में और गिरावट आएगी। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की वर्तमान कीमतों को ध्यान में रखते हुए, कीमतों में 1% की कमी भी घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि पहुंचाएगी।

झ.3.11.पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति की संभावना का विश्लेषण

93. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने की संभावना है। विद्यमान पाटनरोधी शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग के निष्पादन में पहले से ही गिरावट आ रही है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में और गिरावट आने की संभावना है।

ज. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

94. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों के अलावा किन्हीं ऐसे ज्ञात कारकों की जांच करने की अपेक्षा की जाती है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं अथवा जिनसे क्षति पहुंचने की संभावना है, ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए। यद्यपि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच में कारणात्मक संबंध की जांच पहले ही की जा चुकी है, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दिया हो सकता है, ताकि ऐसे कारकों के कारण हुई क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए।

ज.1 गैर-आरोपण विश्लेषण

95. यह जांच की गई कि क्या नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति में योगदान दिया हो सकता है अथवा उनके द्वारा योगदान दिए जाने की संभावना है। इस संबंध में निम्नलिखित नोट किया गया है।

i. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

96. चीन जनवादी गणराज्य से आयातों के अतिरिक्त, यूएई, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात न्यूनतम स्तर से अधिक हैं। शेष अन्य देशों से आयात न्यूनतम स्तर से कम हैं।
97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5) के अंतर्गत एक निर्णायक समीक्षा है। इसका क्षेत्र समीक्षाधीन उपाय, अर्थात् संबद्ध देश, चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तु के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क द्वारा निर्धारित होता है। प्राधिकारी से यह निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या उस शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी।
98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान, संबद्ध वस्तु का आयात संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, सिंगापुर और यूएई से भी संबद्ध आयातों की कीमतों से कम कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में किया गया था। ये देश समीक्षाधीन उपाय अथवा वर्तमान जांच के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। इन देशों से आयातों के संबंध में प्राधिकारी के

समक्ष कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है। अतः, प्राधिकारी ने इस बात की जांच नहीं की है, और इस संबंध में कोई निर्धारण नहीं करते हैं, कि क्या इन देशों से आयात पाटित अथवा क्षतिकारी हैं। यदि घरेलू उद्योग यह मानता है कि इनमें से किसी भी देश से आयात पाटित हैं और क्षति पहुंचा रहे हैं, तो वह नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत विधिवत रूप से प्रमाणित आवेदन दायर कर सकता है। ऐसे किसी भी आवेदन पर उसके गुण-दोष के आधार पर पृथक रूप से विचार किया जाएगा।

99. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि न तो सिंगापुर और न ही यूएई के पास संबद्ध वस्तु के उत्पादन की सुविधाएं हैं। उसका तर्क है कि इन देशों के मूल के रूप में घोषित आयात वस्तुतः चीनी वस्तुएं हैं जिनका लागू शुल्क से बचने के लिए इन देशों के माध्यम से यानांतरण किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्या इन देशों से आयात लागू शुल्क का परिवर्चन करते हैं, यह एक पृथक विषय है, जो नियमावली के नियम 25 द्वारा शासित है।

ii. मांग में संकुचन

100. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में 23% की वृद्धि हुई है और इसमें गिरावट आने की आशा नहीं है। अतः, मांग में किसी संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।

iii. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

101. रिकॉर्ड पर संबद्ध वस्तु की खपत के पैटर्न में किसी ऐसे परिवर्तन का कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो अथवा क्षति होने की संभावना हो।

iv. व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां और घरेलू तथा विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

102. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धति नहीं है जिसने क्षति में योगदान दिया हो अथवा जिसके द्वारा योगदान दिए जाने की संभावना हो। संबद्ध वस्तु का आयात स्वतंत्र रूप से अनुमत है।

v. प्रौद्योगिकी में विकास

103. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में किसी ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तन का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

vi. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

104. क्षति विश्लेषण केवल घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों के संदर्भ में किया गया है। जेएससी ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत में उसकी घरेलू कीमत की तुलना में अधिक तेजी से गिरावट आई, जो वैश्विक कीमत प्रवृत्तियों को इंगित करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति संबंधी सूचना घरेलू प्रचालनों से संबंधित है, और वैश्विक कीमतों में गिरावट के बावजूद, जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत भारत में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम थी। निर्यात कीमतों में गिरावट घरेलू बाजार में हुए कीमत ह्रास की व्याख्या नहीं कर सकती है।

vii. अन्य उत्पादों का निष्पादन

105. प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए आंकड़े केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित हैं।

viii. उत्पादकता

106. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार हुआ है और यह क्षति का कारण नहीं हो सकती है।

ज.2 कारणात्मक संबंध

107. निम्नलिखित मापदंड पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करते हैं।

- क. लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद, संबद्ध आयात पाटित कीमतों पर घरेलू बाजार में प्रवेश करना जारी रखे हुए हैं।
- ख. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में निरपेक्ष रूप से तथा घरेलू उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।
- ग. परिणामस्वरूप, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है, जबकि इस अवधि के दौरान संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।
- घ. पाटित आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत में लागतों में गिरावट की तुलना में अधिक दर पर कमी करने के लिए बाध्य हुआ।
- ङ. परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को अपने लाभ में उल्लेखनीय गिरावट का सामना करना पड़ा और उसके नकद लाभ में गिरावट आई।
- च. इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग ने अपने निवेश पर अत्यंत कम आय अर्जित की।
- छ. यद्यपि क्षमताएं स्थिर रही हैं और उत्पादन में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग ने अत्यंत कम क्षमता उपयोग पर प्रचालन किया।

108. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण है, और अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है।

ट. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

109. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में किसी भी आयातक/प्रयोक्ता/उपभोक्ता द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

110. इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

- i. पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना जनहित में है और इसका डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं अथवा अंतिम उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ii. प्रयोक्ताओं अथवा उपभोक्ताओं द्वारा भागीदारी का अभाव यह इंगित करता है कि पाटनरोधी शुल्क का उन पर कोई उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और शुल्क को जारी रखना जनहित में है।
- iii. संबद्ध वस्तु का प्रयोग मुख्यतः बड़े पैमाने की रिफाइनरियों अथवा बॉयलरों में किया जाता है, जो ग्रीनफील्ड अथवा ब्राउनफील्ड क्षमता स्थापनाएं हैं, जिनमें ऐसी बड़े पैमाने की परियोजनाओं की कुल लागत में इनका हिस्सा केवल नगण्य होता है।
- iv. शुल्क को जारी रखने से कुल परियोजना लागत पर लगभग 0.01% का अत्यंत अल्प प्रभाव पड़ेगा।

- v. संबद्ध वस्तु का जीवनकाल 25-30 वर्ष का लंबा होता है, और परियोजना के जीवनकाल में वितरित करने पर शुल्क को जारी रखने का प्रभाव नगण्य होगा।
- vi. घरेलू उद्योग के पास 7,95,620 मी.ट. की मांग की तुलना में 17,65,000 मी.ट. की कुल क्षमता है। अतः, देश में मांग-आपूर्ति का कोई अंतर नहीं है।
- vii. रश्मि सीमलेस लिमिटेड ने अपने दूसरे चरण में 1,50,000 मी.ट. और तीसरे चरण में 2,50,000 मी.ट. की अतिरिक्त क्षमता वृद्धि की घोषणा की है। पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से निवेश हतोत्साहित होगा और भारतीय उद्योग द्वारा नियोजित क्षमता विस्तार संकट में पड़ जाएगा।
- viii. भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना विकास और सामरिक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समर्थन देने के लिए एक सुदृढ़ और वित्तीय रूप से स्वस्थ घरेलू सीमलेस पाइप उद्योग अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- ix. घरेलू उद्योग ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहलों के अनुरूप क्षमता विस्तार और आयात प्रतिस्थापन में पर्याप्त निवेश किया है। घरेलू उद्योग ने अनेक महत्वपूर्ण उच्च-मूल्य उत्पादों का विकास और स्वदेशीकरण किया है। अतः, इसे निरंतर समर्थन की आवश्यकता है।
- x. शुल्क की समाप्ति से क्षमता विस्तार, उत्पाद विकास और महत्वपूर्ण तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए पर्याप्त निवेश को क्षति पहुंचेगी।
- xi. एक स्वस्थ घरेलू उद्योग का संरक्षण संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में पर्याप्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को समर्थन देगा और उन घरेलू उत्पादकों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगा जो अनुचित रूप से कम कीमत वाले आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं।
- xii. शुल्क को जारी रखने से यह सुनिश्चित करके समान अवसर का सृजन होगा कि आयात उचित कीमतों पर प्रतिस्पर्धा करें, और अनुचित कीमत वाले आयातों पर निर्भरता कम करके तथा घरेलू उत्पादन को समर्थन देकर विदेशी मुद्रा की बचत को बढ़ावा मिलेगा।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

111. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंचाई गई क्षति को दूर करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा का वातावरण विकसित हो सके। यह केवल एक विनियामक उपाय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित का विषय है। पाटनरोधी उपायों का अधिरोपण आयातों को कम करने के लिए अभिप्रेत नहीं है। बल्कि, यह समान अवसर सुनिश्चित करने का एक तंत्र है। प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों को जारी रखने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा का सार अप्रभावित रहेगा। प्रतिस्पर्धा को कम करने के बजाय, पाटनरोधी उपाय पाटन पद्धतियों के माध्यम से अनुचित लाभ की प्राप्ति को रोकने का कार्य करते हैं। वे संबद्ध वस्तु के व्यापक चयन तक उपभोक्ताओं की पहुंच की रक्षा करते हैं। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क बाधक नहीं हैं, बल्कि उचित व्यापार पद्धतियों के सुविधाप्रदाता हैं। इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य मामले में यह टिप्पणी की कि पाटन से अल्पावधि में कम कीमतों के कारण उपभोक्ताओं को अस्थायी लाभ प्राप्त हो सकते हैं, किंतु दीर्घावधि में यह घरेलू उद्योग और बाजार में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

112. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत अधिसूचना जारी की, जिसमें आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए गए। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को वर्तमान जांच से संबंधित संगत सूचना, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव शामिल है, उपलब्ध कराने का अवसर देने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी।
113. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातक, प्रयोक्ता अथवा उपभोक्ता ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है अथवा आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।
114. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तु 25-30 वर्ष के जीवनकाल वाली पूंजीगत वस्तु है, जिसका प्रयोग मुख्यतः हाइड्रोकार्बन, रिफाइनरी, विद्युत और बॉयलर क्षेत्रों में बड़े निगमों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि प्रयोक्ता एमएसएमई क्षेत्र का भाग नहीं हैं, और मुख्यतः बड़े पैमाने के निगम हैं। यह नोट किया जाता है कि उत्पाद की खरीद और उसका प्रयोग बड़े पैमाने की रिफाइनरी अथवा बॉयलर परियोजनाओं की स्थापना के समय किया जाता है। ऐसी बड़े पैमाने की परियोजनाओं की कुल लागत में विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा अत्यंत नगण्य है। इसे ध्यान में रखते हुए, शुल्क को जारी रखने से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की लागत पर केवल 0.09% का नगण्य प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि वस्तुओं का जीवनकाल 30 वर्ष तक है, इसलिए 3 दशकों में वितरित वार्षिक प्रभाव और भी कम होगा।

विवरण	इकाई	मूल्य	टिप्पणी
एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना की लागत	करोड़ रुपये	79,459	A
आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु	मी.ट.	50,000	B
पहुंच कीमत	रुपये/मी.ट.	90,850	C
आपूर्ति किए गए विचाराधीन उत्पाद का कुल मूल्य	करोड़ रुपये	454	$D = B \times C / 10^7$
परियोजना की कुल लागत में विचाराधीन उत्पाद की लागत का हिस्सा	%	1%	$E = D/A$
दावा किया गया पाटनरोधी शुल्क	रुपये/मी.ट.	***	F
संदेय शुल्क	करोड़ रुपये	***	$G = F \times B / 10^7$
परियोजना की कुल लागत पर प्रभाव	%	<0.1%	$H = G/A$

स्रोत: घरेलू उद्योग का लिखित अनुरोध और क्षति संबंधी अनुबंध

115. यह नोट किया जाता है कि देश में ऐसा कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है जिसके लिए देश में पाटित आयात आवश्यक हों। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास उल्लेखनीय क्षमताएं हैं जो देश में संपूर्ण वर्तमान और निकट भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। देश में संबद्ध वस्तु के अनेक उत्पादक हैं, जो प्रयोक्ताओं को पर्याप्त विकल्प प्रदान करते हैं। इस प्रकार, शुल्क को जारी रखने से बाजार में संबद्ध वस्तु की उपलब्धता बाधित नहीं होगी।

116. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि किसी भी प्रयोक्ता ने वर्तमान समीक्षा में यह दावा करने/प्रदर्शित करने के लिए भाग नहीं लिया है कि पूर्व में शुल्क के अधिरोपण से उनके प्रचालनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह नोट किया जाता है कि वर्तमान शुल्क ने प्रयोक्ता उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है, जो किसी भी प्रयोक्ता की भागीदारी के अभाव से स्पष्ट है। इस प्रकार, शुल्क को जारी रखने से भी डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क ने देश में उचित बाजार स्थिति का सृजन किया है, जिससे भारतीय उद्योग अपने उत्पादन और बिक्री की मात्रा को बनाए रखने में सक्षम हुआ है। इस प्रकार, शुल्क को जारी रखने से, बाजार में घरेलू कीमतों पर दबाव उत्पन्न करने वाले किसी भी अनुचित कीमत वाले आयात के अभाव में, भारतीय उद्योग स्वस्थ बना रहेगा और अपने आर्थिक मापदंडों में और सुधार कर सकेगा।

ठ. प्रकटन-पश्चात टिप्पणियां

117. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने हेतु विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण दिनांक 14 अक्तूबर, 2026 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की इन अंतिम जांच परिणामों में आवश्यक समझी गई सीमा तक जांच की है। कोई भी अनुरोध जो केवल पूर्ववर्ती अनुरोधों की पुनरावृत्ति था, और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी थी, को संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

ठ. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

118. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण जारी किए जाने के पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणाम में जियांगसू चेंगदे स्टील ट्यूब शेयर कंपनी लिमिटेड के लिए निर्धारित 5-15% की रेंज में पाटन मार्जिन और नकारात्मक क्षति मार्जिन की पुष्टि करनी चाहिए।

ख. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(5), पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 और 17 तथा व्यापार उपचार संचालन पद्धति नियमपुस्तिका के पैराग्राफ 17.29 में स्पष्ट रूप से यह उपबंध किया गया है कि समीक्षा में शुल्क को संशोधित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है।

ग. इस समीक्षा में पाए गए मार्जिनों को प्रभावी किए बिना केवल मूल शुल्क को बढ़ाने से समीक्षा निरर्थक हो जाएगी।

घ. सेस्टेट ने विभिन्न मामलों में यह माना है कि प्राधिकारी क्षति के निवारण हेतु निर्णायक समीक्षा में मूल शुल्क से अधिक अथवा कम शुल्क की सिफारिश कर सकते हैं, अन्यथा समीक्षा का प्रयोजन विफल हो जाएगा, जिनमें (क) रॉबिन रिसोर्सेज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2016 (342) ई.एल.टी. 118); (ख) शंघाई फॉर्च्यून केमिकल कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2016 (342) ई.एल.टी. 578); और (ग) इंडियन ग्रेफाइट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2006 (199) ई.एल.टी. 722) शामिल हैं। अनेक मामलों में प्राधिकारी की भी यही पद्धति रही है।

ड. इस समीक्षा में पाए गए नए मार्जिनों के बावजूद, Jiangsu Chengde के लिए शुल्क की मूल दर और स्वरूप को जारी रखने से घरेलू उद्योग को अत्यधिक संरक्षण प्राप्त होगा, और यह नियम 17 के साथ पठित नियम 23(1) के अंतर्गत क्षति के निवारण हेतु “आवश्यक” सीमा से परे होगा।

ठ. 2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

119. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण जारी किए जाने के पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. वर्तमान में लागू शुल्क की मात्रा और स्वरूप में संशोधन करने की आवश्यकता है क्योंकि संदर्भ कीमत शुल्क मूल जांच की जांच अवधि के लागत और कीमत संबंधी आंकड़ों पर आधारित है, जो 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं। शुल्क उद्योग को राहत प्रदान करने में अप्रभावी रहा है।
- ख. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद वर्तमान अवधि में आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है, विशेषकर हॉट-रोलड लाइन पाइपों की, जो सबसे मूलभूत उत्पाद है।
- ग. चीनी निर्यातकों ने अपनी कीमतों को संदर्भ कीमत के अनुरूप कर लिया है। निर्यातकों ने 650-850 अमरीकी डॉलर/मी.ट. की रेंज में कीमत उद्धृत की है, जो वर्तमान क्षतिरहित कीमत से काफी कम है, जैसा कि चीनी उत्पादकों के कीमत कोटेशनों तथा बाजार में व्यापारियों द्वारा उत्पादों की पुनर्विक्री के बीजकों से देखा जा सकता है। तथापि, भारतीय सीमा शुल्क को घोषित आयात कीमतें संदर्भ कीमत के बराबर अथवा उससे थोड़ी अधिक हैं।
- घ. घरेलू उद्योग की वर्तमान क्षतिरहित कीमत संदर्भ कीमत के साथ-साथ पहुंच कीमत से भी अधिक है, और इस प्रकार, जब तक पहुंच कीमत संदर्भ कीमत से थोड़ी अधिक रहती है, आयात क्षति पहुंचाते रहेंगे।
- ङ. क्षति अवधि के दौरान स्टील बिलेट की कीमतों में गिरावट आई और जांच की अवधि के दौरान ये न्यूनतम थीं, किंतु उसके पश्चात इनमें वृद्धि हुई, जैसा कि प्रस्तुत लागत के ब्यौरे से देखा जा सकता है। ऐसी कीमतों पर आधारित बेंचमार्क घरेलू उद्योग की वर्तमान लागतों अथवा उचित कीमत को प्रतिबिंबित नहीं करेगा, और पुनः अप्रभावी हो जाएगा।
- च. पाटनरोधी शुल्क के बावजूद, घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होती रही है और उसकी लाभप्रदता में गिरावट आई है।
- छ. घरेलू उद्योग ने पूर्व में शुल्क के स्वरूप और राशि में परिवर्तन हेतु मध्यावधि समीक्षा के लिए आवेदन दायर किया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था। यदि इस निर्णायक समीक्षा में भी शुल्क में परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो घरेलू उद्योग के पास कोई उपचार नहीं रहेगा।
- ज. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1ख), 23(3) और 17(1)(ख) के साथ पठित धारा 9क(5) प्राधिकारी को निर्णायक समीक्षा में शुल्क में संशोधन करने और ऐसे शुल्क की सिफारिश करने की अनुमति देती है जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निवारण करे। सेस्टेट ने विभिन्न मामलों में इस स्थिति को बरकरार रखा है, जैसे (क) एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक्स फाइबर इंडस्ट्री बनाम भारत संघ (2010 (256) ई.एल.टी. 745); (ख) थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2010 (253) ई.एल.टी. 564); (ग) रॉबिन रिसोर्सेज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2016 (342) ई.एल.टी. 118); (घ) शंघाई फॉर्च्यून केमिकल कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2016 (342) ई.एल.टी. 578); और (ङ) इंडियन ग्रेफाइट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2006 (199) ई.एल.टी. 722)। प्राधिकारी ने विभिन्न पूर्ववर्ती जांचों में प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्णायक समीक्षाओं में शुल्क की मात्रा और स्वरूप में संशोधन किया है।
- झ. संबद्ध वस्तु का प्रयोग मुख्यतः रिफाइनरी बॉयलर प्रणालियों, हीट एक्सचेंजर्स, यांत्रिक, संरचनात्मक और सामान्य इंजीनियरी अनुप्रयोगों में किया जाता है। यदि 10% तक शुल्क अधिरोपित किया जाता है, तब भी वैयक्तिक उपकरण में ऐसे शुल्क का प्रभाव 3% से अधिक नहीं होगा और उपकरण के 30 वर्ष के जीवनकाल में देखने पर यह और भी कम होगा।

- ज. प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उद्योग और आधार, पाटन, क्षति तथा शुल्क को समाप्त होने दिए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना के संबंध में अपनी टिप्पणियों की पुष्टि करनी चाहिए।

ठ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

120. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन-पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियों की अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराग्राफों में पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और उनका पर्याप्त रूप से समाधान किया जा चुका है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया है, और जिनकी ऊपर पहले ही जांच नहीं की गई है, की जांच नीचे की गई है।
121. घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के कारण निरंतर हो रही क्षति के निवारण हेतु शुल्क के स्वरूप में परिवर्तन के अपने अनुरोध को दोहराया है। घरेलू उद्योग ने कीमत कोटेशनों, व्यापारियों द्वारा जारी बीजकों, कच्ची सामग्री की खपत कीमतों, निर्धारित विधिक स्थिति और प्राधिकारी की पूर्ववर्ती पद्धति के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जियांगसू चेंगदे स्टील ट्यूब शेयर कंपनी लिमिटेडने भी शुल्क के स्वरूप में संशोधन और प्राधिकारी द्वारा पाए गए पाटन और क्षति मार्जिन के आधार पर पाटनरोधी शुल्क के निर्धारण का अनुरोध किया है।
122. जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, संदर्भ कीमत के रूप में वर्तमान शुल्क का निर्धारण मूल जांच की जांच अवधि (जनवरी-दिसंबर 2014) में विद्यमान लागत और कीमत स्थितियों के आधार पर किया गया था। शुल्क के बावजूद, वर्तमान क्षति अवधि में आयातों की मात्रा में वृद्धि होती रही है, क्योंकि आयातों में प्रमुख हिस्सा रखने वाले पीसीएन के लिए संबद्ध आयात संदर्भ कीमत से थोड़ी अधिक कीमतों पर प्रवेश करना जारी रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग उत्पादन क्षमताओं के घोर अल्प-उपयोग से ग्रस्त है, जबकि आयातों में वृद्धि हो रही है। आयात की मात्रा में वृद्धि उस उत्पाद प्रकार के संबंध में है जिसका न केवल तीनों घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, बल्कि जिसका इन घरेलू उत्पादकों की उत्पाद रूपरेखा में प्रमुख हिस्सा भी है। इस प्रकार, मामले की तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसमें घरेलू उद्योग के कीमत मापदंडों में गिरावट आ रही है और उत्पादन क्षमताओं का अल्प-उपयोग हो रहा है, जबकि आयात की मात्रा बढ़ रही है, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हो रही निरंतर क्षति के निवारण हेतु शुल्क के स्वरूप को संदर्भ कीमत से परिवर्तित करके, वर्तमान समीक्षा में निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर, अमरीकी डॉलर प्रति मी.ट. में अभिव्यक्त नियत शुल्क करना उचित समझते हैं।
123. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि शुल्क को जारी रखने से किसी भी डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि यदि 10% तक शुल्क अधिरोपित किया जाता है, तब भी विभिन्न डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों पर ऐसे शुल्क का प्रभाव नगण्य होगा। इसके अतिरिक्त, चूंकि वस्तुओं का जीवनकाल 30 वर्ष तक है, इसलिए 3 दशकों में वितरित वार्षिक प्रभाव और भी कम होगा।

अनुप्रयोग	लागत में हिस्सा	हिस्से पर शुल्क का प्रभाव	प्रति वर्ष प्रभाव (30 वर्ष)
		(प्रस्तावित शुल्क * हिस्सा)	(संभावित प्रभाव / 30)
बॉयलर	लगभग 15-20%	2%	0.1%

शेल-एंड-ट्यूब हीट एक्सचेंजर	लगभग 25-40%	3%	0.1%
हाइड्रोलिक सिलेंडर	लगभग 20-30%	2.5%	0.1%
रोलिंग बेयरिंग	लगभग 5-10%	1%	0.03%
निर्माण उपकरण	लगभग 2-4%	0.4%	0.01%
समग्र पूंजीगत वस्तुएं	लगभग 1-2%	0.2%	0.01%
संरचनात्मक इस्पात कार्य	1% से कम	0.1%	0.003%

स्रोत: घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पर दायर टिप्पणियां

124. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु का प्रयोग रिफाइनरी, बॉयलर प्रणालियों, हीट एक्सचेंजरो, यांत्रिक, संरचनात्मक और सामान्य इंजीनियरी अनुप्रयोगों में किया जाता है। यह भी नोट किया जाता है कि इन जांच परिणामों में अनुशंसित शुल्क को ध्यान में रखते हुए भी, डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर प्रभाव नगण्य होगा।

ड निष्कर्ष

125. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के पश्चात; और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- विचाराधीन उत्पाद लौह, मिश्र धातु अथवा गैर-मिश्र धातु इस्पात (ढलवां लोहे और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) के सीमलेस ट्यूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल हैं, चाहे वे हॉट फिनिश हों अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोलड हों, जिनका बाहरी व्यास 355.6 मिमी अथवा 14" ओडी से अधिक न हो। इसमें हाइड्रोकार्बन उद्योग में प्रयुक्त बॉयलर पाइप अथवा लाइन पाइप शामिल हैं, बशर्ते प्राधिकारी द्वारा नोट किए गए अपवर्जन लागू हों।
- वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को सीमित किया गया है और जबकि पूर्व में पीसीएन A-1-1 से A-1-4 के अंतर्गत शामिल ऑयल कंट्री ट्यूबुलर गुड्स (ओसीटीजी) के आयात पर शुल्क लागू था, उसे वर्तमान समीक्षा में शुल्क के क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया गया है।
- घरेलू उद्योग ने आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु का उत्पादन किया है।
- पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा शुरू करने हेतु आवेदन जिंदल साँ लिमिटेड, किलोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था।
- कुल भारतीय उत्पादन में आवेदकों का हिस्सा 93% है, और इस प्रकार, वे समान वस्तु के लिए घरेलू उद्योग हैं।
- निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है और उल्लेखनीय है।

- vii. क्षति अवधि के दौरान उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के पास उत्पाद की वर्तमान और संभावित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। इसके बावजूद, क्षति अवधि के दौरान आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है।
- viii. लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद, संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।
- ix. आयात मुख्यतः उन श्रेणियों के हैं जिनका भारतीय उद्योग की उत्पादन रूपरेखा में प्रमुख हिस्सा है।
- x. वर्तमान अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति हुई है -
- क. संबद्ध आयातों ने बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में हास किया है। घरेलू उद्योग अपनी लागतों में गिरावट की तुलना में काफी अधिक दर पर अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य हुआ है।
- ख. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आई है और उसने संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान 50% से कम क्षमता उपयोग पर प्रचालन किया है।
- ग. इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तीव्र गिरावट आई है। वर्षों के दौरान उसके लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में तीव्र गिरावट आई है। घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नियोजित पूंजी पर आय काफी कम है और दीर्घावधि में किसी भी व्यवसाय के प्रचालन के लिए अधारणीय है।
- xi. पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के परिणामस्वरूप पाटन के तीव्र होने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है, जो निम्नलिखित से स्पष्ट है।
- क. शुल्क के बावजूद आयात बढ़ती मात्रा में प्रवेश करना जारी रखे हुए हैं।
- ख. चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों ने लंबी अवधि से पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु का निर्यात करना जारी रखा है।
- ग. शुल्क के बावजूद, संबद्ध आयातों में मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक दर पर वृद्धि हुई है।
- घ. चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों के पास बड़ी अधिशेष क्षमताएं हैं, जो भारतीय मांग से अधिक हैं।
- ङ. सीमित घरेलू मांग के बावजूद, चीनी निर्यातकों ने घरेलू मांग से काफी अधिक क्षमताएं स्थापित की हैं। परिणामस्वरूप, निर्यातकों के पास वैश्विक बाजार की ओर देखने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।
- च. चीन जनवादी गणराज्य विश्व स्तर पर इस्पात और इस्पात उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक भी है।
- छ. संबद्ध देश के निर्यातकों को यूरोपीय संघ, कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विभिन्न तीसरे देशों में उल्लेखनीय व्यापार उपचारात्मक उपायों और अन्य टैरिफ उपायों का सामना करना पड़ रहा है।
- ज. निर्यात ऐसी कीमत पर किए जा रहे हैं जिसका बाजार में कीमतों पर उल्लेखनीय हासकारी प्रभाव पड़ रहा है। पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में इसके और तीव्र होने की संभावना है।

झ. घरेलू उद्योग द्वारा अनुभव किए गए कीमतों पर हासकारी प्रभावों के परिणामस्वरूप, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में पहले ही गिरावट आ चुकी है। पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में निष्पादन में और गिरावट आने की संभावना है।

- xii. पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना जनहित में है और इसका व्यापक जनता के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- xiii. विचाराधीन उत्पाद किसी भी डाउनस्ट्रीम उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त कच्ची सामग्री नहीं है।
- xiv. शुल्क को जारी रखने के परिणामस्वरूप डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों की कीमतों में नगण्य वृद्धि होगी और यह अंतिम उपभोक्ताओं के लिए कोई मापनीय भार नहीं होगा।
- xv. भारतीय उद्योग में अनेक उत्पादक शामिल हैं, जिनके पास देश में वर्तमान और भावी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं। इस प्रकार, शुल्क को जारी रखने के परिणामस्वरूप कोई मांग-आपूर्ति अंतर उत्पन्न नहीं होगा।
- xvi. वर्तमान जांच में किसी भी प्रयोक्ता द्वारा भागीदारी का अभाव यह प्रदर्शित करता है कि पाटनरोधी शुल्क ने किसी भी डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है।

ढ. सिफारिशें

126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। यह निष्कर्ष निकालने के पश्चात कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने की संभावना है, प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर उपायों का निरंतर अधिरोपण आवश्यक है।
127. शुल्क संरचना के संबंध में, मामले की तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, पाटनरोधी शुल्क के नियत स्वरूप की सिफारिश करना उचित समझा जाता है। तदनुसार, यह सिफारिश की जाती है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम (7) में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया जाए।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	7304*	लौह, मिश्र धातु अथवा गैर-मिश्र धातु	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	जियांगसू चेंगदे स्टील ट्यूब शेयर कंपनी लिमिटेड	शून्य	मी.ट.	अमरीकी डॉलर

		इस्पात (ढलवां लोहे और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) के सीमलेस ट्यूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल, चाहे वे हॉट फिनिश हों अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोलड हों, जिनका बाहरी व्यास 355.6 मिमी अथवा 14" ओडी से अधिक न हो**		सहित कोई भी देश				
2.	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	क्र. सं. 1 पर उल्लिखित से भिन्न कोई भी उत्पादक	268	मी.ट.	अमरीकी डॉलर
3.	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	268	मी.ट.	अमरीकी डॉलर

*सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

**वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "लौह, मिश्र धातु अथवा गैर-मिश्र धातु इस्पात (ढलवां लोहे और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) के सीमलेस ट्यूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल, चाहे वे हॉट फिनिश हों अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोलड हों, जिनका बाहरी व्यास 355.6 मिमी अथवा 14" ओडी से अधिक न हो" है। इसमें हाइड्रोकार्बन उद्योग में प्रयुक्त बायलर पाइप अथवा लाइन पाइप शामिल हैं। निम्नलिखित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अपवर्जित हैं:

- i. ढलवां लोहे और स्टेनलेस स्टील से बने सीमलेस पाइप और ट्यूब।
 - ii. एएसटीएम ए213/एएसएमई एसए 213 और एएसटीएम ए335/एएसएमई एसए 335 अथवा समतुल्य बीआईएस/डीआईएन/बीएस/ईएन अथवा किसी अन्य समतुल्य विनिर्देशन वाले सीमलेस मिश्र धातु इस्पात पाइप, ट्यूब और खोखले प्रोफाइल।
 - iii. दिनांक 17 मार्च, 2012 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 12/2012 की क्रम संख्या 356 के अंतर्गत यथानिर्धारित गैर-एपीआई और प्रीमियम जॉइंट्स/प्रीमियम कनेक्शन्स/प्रीमियम थ्रेडेड ट्यूब और पाइप।
 - iv. सभी 13 क्रोमियम (13सीआर) ग्रेड के ट्यूब और पाइप।
 - v. ड्रिल कॉलर।
 - vi. पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, भारत सरकार के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित उत्पादकों द्वारा गैस सिलेंडरों के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त उच्च दाब सीमलेस इस्पात पाइप/ट्यूब।
 - vii. तेल अथवा गैस हेतु ड्रिलिंग में प्रयुक्त किस्म की, कार्बन/गैर-मिश्र धातु/मिश्र धातु की, हॉट फिनिशड अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोल्ड सीमलेस ट्यूबिंग, जिसका बाहरी व्यास 355.6 मिमी अथवा 14" ओडी से अधिक न हो।
 - viii. तेल अथवा गैस हेतु ड्रिलिंग में प्रयुक्त किस्म की, कार्बन/गैर-मिश्र धातु/मिश्र धातु की, हॉट फिनिशड अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोल्ड सीमलेस केसिंग, जिसका बाहरी व्यास 355.6 मिमी अथवा 14" ओडी से अधिक न हो।
 - ix. कार्बन/गैर-मिश्र धातु/मिश्र धातु के, हॉट फिनिशड अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोल्ड सीमलेस मदर हॉलो, कपलिंग स्टॉक, ब्लैंक/पप जॉइंट्स, जिनका बाहरी व्यास 355.6 मिमी अथवा 14" ओडी से अधिक न हो।
 - x. तेल अथवा गैस हेतु ड्रिलिंग में प्रयुक्त किस्म के, कार्बन/गैर-मिश्र धातु के, हॉट फिनिशड सीमलेस ड्रिल पाइप, जिनका बाहरी व्यास 355.6 मिमी अथवा 14" ओडी से अधिक न हो।
128. उपर्युक्त शुल्क तालिका में क्रम सं. 1 पर उल्लिखित कंपनी के लिए विनिर्दिष्ट वैयक्तिक शुल्क दर का अनुप्रयोग सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली इकाई के किसी अधिकारी, जिसकी पहचान उसके नाम और पदनाम से की गई हो, द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित एक घोषणा अंकित होगी, जिसका प्रारूप निम्नानुसार होगा:
- “मैं, अधोहस्ताक्षरी, यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस बीजक के अंतर्गत शामिल, भारत को निर्यात हेतु बेचे गए लौह, मिश्र धातु अथवा गैर-मिश्र धातु इस्पात (ढलवां लोहे और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) के सीमलेस ट्यूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल, चाहे वे हॉट फिनिशड हों अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोल्ड हों, जिनका बाहरी व्यास 355.6 मिमी अथवा 14" ओडी से अधिक न हो, की (मात्रा) का विनिर्माण चीन जनवादी गणराज्य में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस बीजक में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।”*
129. यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उपर्युक्त शुल्क तालिका में यथाविनिर्दिष्ट “कोई भी” के लिए लागू पाटनरोधी शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क कानूनों और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली किसी भी सत्यापन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

ण. आगे की प्रक्रिया

130. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत उपबंधों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 23rd October, 2026

Case No. – AD (SSR) – 04/2026

Subject: Sunset Review Anti-Dumping Investigation concerning imports of “Seamless Tubes, Pipes & Hollow Profiles of Iron, Alloy or Non-Alloy Steel” originating in or exported from China PR.



F. No. 7/08/2026-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, framed thereunder, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “AD Rules, 1995”):

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Jindal Saw Limited, Kirloskar Ferrous Industries Limited and Maharashtra Seamless Limited (hereinafter referred to as the ‘applicants’ or the ‘domestic industry’) filed an application before the Authority in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Rules, seeking initiation of sunset review of the anti-dumping duty in force on imports of “Seamless Tubes, Pipes & Hollow Profiles of Iron, Alloy or Non-Alloy Steel (other than cast iron and stainless steel), whether hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14” OD” (hereinafter referred to as the ‘subject goods’ or the ‘product under consideration’) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the ‘subject country’). The applicants have also sought modification of the form of duty and enhancement of the quantum of duty.
2. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from China PR was initiated vide notification dated 8th July 2015. The Authority recommended provisional duties vide preliminary findings dated 31st March 2016, which were imposed vide Notification No. 18/2016-Customs (ADD), dated 17th May

2016. The Authority issued its final findings on 9th December 2016, recommending definitive anti-dumping duty, which was imposed vide Notification No. 7/2017-Customs (ADD), dated 17th February 2017.

3. The first sunset review was initiated on 19th February 2021. Pending its conclusion, the duties were extended up to 31st October 2021 vide Notification No. 29/2021-Customs (ADD), dated 7th May 2021. The Authority, vide final findings dated 30th July 2021, recommended continuation of the duties for a further period of five years, and the duties were continued vide Notification No. 64/2021-Customs (ADD), dated 28th October 2021.
4. On the basis of the duly substantiated application filed by the applicants, and having satisfied itself on the basis of the *prima facie* evidence of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority initiated the present sunset review vide Initiation Notification No. 7/08/2026-DGTR, dated 20th March 2026, in terms of Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules. Pending the conclusion of the present sunset review, the duties have been extended for a period of 3 months, vide Notification No. 16/2026-Customs (ADD), dated 6th July 2026. The duties are now set to expire on 27th January 2027.

B. PROCEDURE

5. The procedure described below has been followed by the Authority in the present investigation:

5.1. Initiation

- i. Prior to initiation of the investigation, the government of the subject country was notified through its embassy in India about the receipt of the present anti-dumping application.
- ii. In accordance with Rule 5 read with Rule 6(1) and Rule 23(1B), upon examination of the application and finding *prima facie* evidence of dumping, injury, likelihood and causal link, the Authority issued Notification No. 7/08/2026-DGTR dated 20th March 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation on imports from China PR.
- iii. In accordance with Rule 6(2), the interested parties were informed of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassy of the subject country in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject country, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.

5.2. Period of Investigation and Injury Period

- i. The period of investigation ('POI') for the purpose of the present review is 1st October 2024 to 30th September 2025. The examination of trends in the context of injury analysis covers the years 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the period of investigation.

5.3. Import Data

- i. A request was made to DG Systems to obtain transaction-wise import data of the subject goods for the injury period. The data received has been relied upon for the necessary analysis after due examination of the transactions.

5.4. Circulation of non-confidential version of the application

- i. In accordance with Rule 6(3), a copy of the non-confidential version of the application was provided to the government of the subject country through its embassy in India, known exporters of the subject imports and to other interested parties who requested in writing for a copy of the application.

5.5. Participation by Exporters of Subject country

- i. In accordance with Rule 6(4), a copy of the exporter's questionnaire was sent to the following producers and exporters to seek information regarding the normal value and net export price for the investigation.
 - a. Anhui Tianda Oil Pipe Co Ltd
 - b. Baoshan Iron & Steel Co., Ltd
 - c. Changbao Steel Tubes Jiangsu
 - d. China National Petroleum Corporation
 - e. Dalipal Pipe Company
 - f. Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Co. Ltd.

- g. Heilongjiang Jianlong Iron & Steel Co., Ltd
- h. Inner Mongolia Baotou Steel Union Co Ltd.
- i. Jiangsu Changbao Precision Steel Tube Co. Ltd.
- j. Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co Ltd.
- k. Jiangsu Huacheng Industry Group Co. Ltd.
- l. North China Petroleum Steel Pipe Co., Ltd
- m. Pangang Group Chengdu Iron and Steel Co. Ltd.
- n. Pangang Group Chengdu Steel & Vanadium Company Ltd.
- o. Shandong Molong Petroleum Machinery Co., Ltd
- p. Shengli Oil Field Freet Petroleum Steel Pipe Co Ltd.
- q. Suzhou Seamless Steel Tube Works
- r. Taicang Xinbaoyi Steel Pipe Manufacture Co. Ltd.
- s. Tianjin Pipe (Group) Corporation
- t. Wuxi Dexin Steel Tube Co. Ltd.
- u. Wuxi Dongwu Pipe Industry Co. Ltd.
- v. Xigang Seamless Steel pipe Company Limited
- w. Yangzhou Longtrin Steel Tube Co. Ltd.
- x. Yantai Lubao Steel Pipe Co.
- y. Zhangjiangyiyang Pipe Producing Co. Ltd.
- z. Hengyang Valin MPM Co. Limited
- aa. Changbao Precision and Special Steel Tube Co., Ltd.
- bb. Taizhou Chengde Steel Tube Co. Limited
- ii. The questionnaire was also sent to the government of the subject country through its embassy in India. The government of the subject country was requested to forward the Initiation Notification and the questionnaire to the producers of the subject goods and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- iii. In response to the above, Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co Ltd. (hereinafter also referred to as "JSC") filed a response to the exporter's questionnaire.

5.6. Participation by Importers/Users

- i. In accordance with Rule 6(4) of the Rules, a copy of the importer / user questionnaire was also sent to the following known importers/users of the product under consideration in India calling for necessary information.
 - a. Bharat Earth Movers Limited
 - b. Bharat Enterprises
 - c. Bharat Petroleum Corporation Limited
 - d. Endurance Technologies Private Limited
 - e. FAG Bearings India Ltd (Schaeffler India Limited)
 - f. Gajanan Tubes
 - g. Gandhi Special Tubes Limited
 - h. G.B. Engineering Enterprises Private Limited
 - i. Himel
 - j. Hi-tech Engineering Corporation India Private Limited
 - k. Industrial Metal Corporation

- l. Indian Oil Corporation Limited (Refinery Division)
- m. JR Seamless Private Limited
- n. Kishore Vadilal Private Limited
- o. Madras Steel & Tubes
- p. Maha Fitting Private Limited
- q. Marathwada Auto Compo Private Limited
- r. Metallica Metal India
- s. Murugan Steels & Tubes
- t. Northern Steel Traders Private Limited
- u. Praveen Industries Private Limited
- v. Rane (Madras) Private Limited
- w. Reliance Industries Limited
- x. RSB Transmissions (I) Limited
- y. Samir Metal & Tubes
- z. Shree Shyam Trading Company
- aa. Sitson India Private Limited
- bb. S.S. Engineers
- cc. Technotrack
- dd. Tubes India
- ee. Vibhor Steel Tubes Private Limited
- ff. Vinayak Tubes
- gg. Wipro Limited
- ii. In response to the above, none of the importers/users have responded and participated in the present review.

5.7. Registered Interested Parties

- i. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties.

5.8. Economic Interest Questionnaire

- i. An economic interest questionnaire was issued to all the known producers and exporters, importers, and the domestic industry. The economic interest questionnaire was also shared with the Ministry of Steel being the administrative line ministry. Response to the economic interest questionnaire was filed by the domestic industry and Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co Ltd.

5.9. Oral Hearing

- i. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 9th June 2026. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

5.10. Other procedure

- i. Foreign producers, exporters and other interested parties who have not responded, or have not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
- ii. Non-confidential version of submissions filed by the various interested parties were made available to all participating interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to make the non-confidential version of their submissions available to all the other interested parties.

- iii. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party refused access to or otherwise did not provide necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or significantly impeded the investigation, such parties have been considered as non-cooperative and the findings with respect to such parties have been recorded on the basis of the facts available.
- iv. In accordance with Rule 7, the information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied, the confidentiality claims have been accepted wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- v. Wherever an interested party has claimed information as confidential, the Authority has not disclosed the same in the present final findings. Further, any information that has been processed by the Authority from confidential information provided by interested parties has also been considered confidential in the present final findings and has not been disclosed on actual basis, as, disclosure of such information on actual basis in the present final findings shall lead to disclosure of information confidentiality of which has been protected by the rules.
- vi. In accordance with Rule 8, verification of the data provided by the domestic industry and other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.
- vii. The non-injurious price has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce & sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the applicants and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and as per the principles laid down in Annexure III of the Rules.
- viii. All the arguments raised and information provided by all the interested parties to the extent the same is supported with evidence and considered relevant to the present investigation have been considered.
- ix. “****” in the present final findings represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered under the Rules.
- x. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 86.76, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout this document.

Source: <https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate>

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions by other interested parties

- 6. JSC has submitted that the domestic industry has itself conceded that there is no likelihood of dumping or injury in respect of OCTG products and has modified the scope of the product under consideration selectively in order to present a favourable picture. JSC further pointed out, that the domestic industry's comments on the PUC omitted the phrase “and casing and tubing of a kind used in drilling for oil and gas exploration” from the inclusion clause, and sought clarity on the final scope and PCN methodology.

C.2. Submissions by the domestic industry

- 7. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article.
 - i. The domestic industry has submitted that the scope of the product under consideration may be confirmed as that under the duties presently in force, excluding Oil Country Tubular Goods (OCTG) covered under PCNs A-1-1 to A-1-4.
 - ii. It was submitted that, pursuant to the Public Procurement Policy on Preference to Domestically Manufactured Iron and Steel Products (DMI&SP), 2017 (as amended), OCTG products supplied for government procurement are required to be manufactured from steel melted and poured in India, as a result of which the government procurement market for OCTG is insulated from imports and there is no likelihood of injury in respect of such products.
 - iii. There is no bar on narrowing the scope of the product under consideration in a sunset review, and reliance was placed on the sunset reviews concerning Viscose Staple Fibre (2021), Fully Drawn Yarn (2020) and Glass Fibre (2016).

- iv. The domestic industry has proposed the PCN methodology determined in the original investigation, excluding PCNs A-1-1 to A-1-4.
- v. The goods produced by the domestic industry and that imported into India are like article. There is no known difference in the product produced by the applicants and those imported from the subject country.

C.3. Examination by the Authority

8. The product under consideration in the original investigation was “Seamless tubes, pipes & hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel), whether hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14” OD”, including boiler pipes or line pipes used in hydrocarbon industry and casing and tubing of a kind used in drilling for oil and gas exploration., subject to the following exclusions –
 - i. Seamless pipes and tubes made of cast iron and stainless steel
 - ii. Seamless alloy-steel pipes, tubes and hollow profiles of specifications ASTM A213/ASME SA 213 and ASTM A335/ASME SA 335 or equivalent
 - iii. Non-API and Premium Joints/Premium Connections/Premium Threaded Tubes & Pipes as prescribed under Customs Notification No. 12/2012 dated 17th March 2012 at S. No. 356
 - iv. All 13 Chromium (13CR) grade tubes and pipes
 - v. Drill collars
 - vi. High pressure seamless steel pipe/tube used for manufacturing gas cylinders by producers approved by the Chief Controller of Explosives, PESO.
9. At the request of the applicants, the Authority, at the stage of initiation itself, restricted the scope of the product under consideration for the purpose of the present review by excluding (i) seamless tubing, (ii) seamless casing, of a kind used in drilling for oil or gas, (iii) seamless mother hollows, coupling stock, blanks/pup joints, and (iv) seamless drill pipes, of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14” OD (i.e., OCTG products covered under PCNs A-1-1 to A-1-4 in the original investigation). The phrase “casing and tubing of a kind used in drilling for oil and gas exploration” in the original description stands consequentially excluded by the express exclusion of such goods, and the omission in the domestic industry’s comments does not enlarge or otherwise alter the scope as notified.
10. The Authority notes that neither the Act nor the Rules bar the curtailment of the scope of the product under consideration in a sunset review, particularly where the domestic industry itself does not seek continuation of protection in respect of certain product types. The curtailment reduces, rather than enlarges, the coverage of the measure and causes no prejudice to the exporters or users. The Authority has consistently followed this approach in past sunset reviews. The contention of JSC is, therefore, not accepted.
11. Accordingly, the product under consideration in the present review, as also notified at the stage of initiation vide Notification No. 7/08/2026-DGTR, dated 20th March 2026, is as below. Further, the Authority also notified the same product scope as notified at the time of initiation along with an additional clarification vide notice dated 7th May 2026 following submissions received from all interested parties on the issue of product scope and PCN.

“The product under consideration in the present investigation is “Seamless tubes, pipes & hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel), whether hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14” OD”. It includes boiler pipes or line pipes used in hydrocarbon industry.

The following products are excluded from the scope of product under consideration:

- i. *Seamless pipes & tubes made of cast iron and stainless steel.*
- ii. *Seamless alloy-steel pipes, tubes and hollow profiles of specifications of ASTM A213/ASME SA 213 and ASTM A335/ ASME SA 335 or equivalent BIS/DIN/BS/EN or any other equivalent specifications.*
- iii. *Non - API and Premium Joints / Premium Connections / Premium Threaded Tubes & Pipes as prescribed under Customs Notification No. 12/2012, dated 17th March 2012 at serial number 356.*
- iv. *All 13 Chromium (13CR) Grade Tubes and Pipes.*
- v. *Drill Collars.*

- vi. *High pressure seamless steel pipe/tube used for manufacturing gas cylinders by producers approved by the Chief Controller of Explosives, Petroleum and Explosives Safety Organisation, Government of India.*
 - vii. *Seamless Tubing, of a kind used in drilling for oil or gas, Carbon/ Non- Alloy/ Alloy, hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD.*
 - viii. *Seamless Casing, of a kind used in drilling for oil or gas, Carbon/Non -Alloy/ Alloy, hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD.*
 - ix. *Seamless Mother Hollows, coupling stock, blanks/ Pup Joints, Carbon/ Non Alloy/ Alloy, hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD.*
 - x. *Seamless Drill Pipes, of a kind used in drilling for oil or gas, Carbon/Non alloy, hot finished of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD".*
12. The product under consideration is classified under heading 7304 of Chapter 73 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.
 13. With regards to the PCN methodology, the applicants requested adoption of the PCN methodology adopted by the Authority in previous investigations, with the exception of OCTG products as mentioned hereinabove. JSC has only sought clarity on the final scope and PCN methodology, which stands clarified hereinabove. Accordingly, the following PCN methodology, as notified at initiation, has been adopted for the purpose of fair comparison:

PCN	Description
A-1-5	Seamless tubes, pipes and hollow profiles including line pipes of carbon/non-alloy steel, hot finished, of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD
A-1-6	Seamless tubes, pipes and hollow profiles of circular cross section including line pipes of carbon/non-alloy steel, cold drawn or cold rolled or cold reduced, of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD
A-1-7	Seamless tubes, pipes and hollow profiles of circular cross section including line pipes and bearing tubes of alloy steel, hot finished, of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD
A-1-8	Seamless tubes, pipes and hollow profiles of circular cross section including line pipes and bearing tubes of alloy steel, cold drawn or cold rolled or cold reduced, of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD

14. As regards like article, the domestic industry has claimed that there is no known difference between the subject goods produced by it and those imported from the subject country in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification. No comments were made by the other interested party in this regard. The Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject country within the meaning of Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. Submissions by other interested parties

15. JSC has submitted that the constitution of the domestic industry has changed across the original investigation, the first sunset review and the present review without explanation; that ISMT Limited has been dropped while Kirloskar Ferrous Industries Limited has been introduced for the first time and Maharashtra Seamless Limited re-introduced; and that such curation undermines the representativeness of the injury analysis. JSC has sought a reasoned justification for the exclusion of ISMT Limited.

D.2. Submissions by the domestic industry

16. The domestic industry has submitted that the applicants are the three largest producers of the subject goods in India, accounting for 93% of the Indian production, that they have neither imported the subject goods from the subject country nor are related to any exporter or importer of the subject goods. It was submitted that ISMT

Limited, an applicant in the earlier proceedings, underwent liquidation and was acquired by Kirloskar Ferrous Industries Limited. Further, there is no legal obligation to maintain the same constitution of the domestic industry across proceedings, as held by the Authority in the first sunset review itself.

D.3. Examination by the Authority

17. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article, or those whose collective output constitutes a major proportion of the total domestic production, excluding producers related to exporters or importers or themselves importers of the alleged dumped article.
18. The Authority notes that there are six other known producers of the subject goods in India besides the applicants. The production of the applicants and other Indian producers during the POI is as follows:

Producer	Production (MT)	Share (%)
Maharashtra Seamless Limited	***	***
Jindal Saw Limited	***	***
Kirloskar Ferrous Industries Limited	***	***
Total – applicants	6,17,542	93%
Other Indian producers (6)	49,446	7%
Total Indian production	6,66,989	100%

19. The applicants have certified that they have not imported the subject goods from the subject country during the injury period and are not related to any exporter or importer of the subject goods. The Authority notes that the applicants account for 93% of the total Indian production of the like article and therefore, constitute a major proportion of the total domestic production in India.
20. As regards the change in constitution of the domestic industry, the Authority notes that ISMT Limited, as submitted by the domestic industry, underwent liquidation after the first sunset review and was acquired by Kirloskar Ferrous Industries Limited. Thus, ISMT Limited is no longer in existence as a separate producer of the subject goods. Further, it is noted that there is no legal obligation on the Authority or the applicants to maintain the same constitution of the domestic industry in successive proceedings. The Authority is only required to ascertain that the applicants satisfy the requirements of Rule 2(b). In the present case, the applicants represent 93% of Indian production and thus, the question of selective curation does not arise. The contention of JSC is, therefore, not accepted.
21. In view of the above, the Authority finds that the applicants constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and that the application satisfies the criteria of standing under Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by other interested parties

22. The sole responding exporter, JSC, has submitted response to exporter's questionnaire and made other submissions, wherein certain information has been claimed confidential after providing reasons for the same.

E.2. Submissions by domestic industry

23. The domestic industry has made various submissions during the investigation, and has claimed certain information as confidential after providing reasons for the same.

E.3. Examination by the Authority

24. The non-confidential version of the information provided by the interested parties was made available to all interested parties as per Rule 6(7) and Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018 read with Trade Notice 1/2013 dated 9th December 2013.

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being

satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on a confidential basis to furnish a non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible to summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

25. The claims made by the interested parties, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. It is seen that the domestic industry has claimed confidentiality on various information, such as, production, capacity, capacity utilization, sales volumes, market share, stocks, selling price, costs, profits, cash profits, return on investment, non-injurious price, cost of production related information, normal value based on cost of production, dumping margin, injury margin, etc. It is also seen that wherever information is for the injury period, the same has been provided on an indexed basis. Information such as normal value, non-injurious price and price undercutting has been disclosed in the range. Further, the domestic industry has also claimed confidentiality on various supporting documents & information, wherever such information has not been publicly disclosed by them. The domestic industry has claimed that non-confidential summary of such information cannot be provided since these documents are not susceptible to summary. Similarly, the exporter has claimed confidentiality with respect to its sales volume, sales value, prices, cost of production and supporting documentation. Where possible, the exporter has provided information in indexed form.
26. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, the interested parties were directed to provide sufficient non confidential versions of the information filed on a confidential basis.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions by other interested parties

27. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties.
- i. Article 11.3 of the Anti-Dumping Agreement mandates expiry of duty after five years as the rule, and continuation is an exception requiring a rigorous examination based on positive evidence (Appellate Body in *US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review*; CESTAT in *All India Laminated Fabrics Manufacturers Association v. Designated Authority*). The duties have been in force for over ten years, and the growth of the Indian industry from 5 to 10 producers shows that the duty has served its purpose.
 - ii. Section 9A(5) of the Act only empowers the Central Government to 'extend' the existing duty and does not contemplate re-determination of the quantum or form of duty in a sunset review. In a number of recent sunset reviews (Faced Glass Wool, Methyl Acetoacetate, Flexible Slabstock Polyol, 2-Ethyl Hexanol, FKM, Flax Fabric, Aniline, Sodium Citrate, DOPP, EVA Sheet, etc.), the Authority continued the same duty for cooperating producers as determined in the original investigation, even though fresh margins were quantified.
 - iii. The request for enhancement of the reference price is a recycled argument that was rejected in the first sunset review and not challenged. The reference price is denominated in US\$ at the instance of the domestic industry itself; owing to depreciation of the INR (₹ 61.59/US\$ in the original POI to ₹ 87/US\$ in the present POI), the reference price in rupee terms has already increased by about 55%. If the reference price is revisited, it should be reduced in US\$ terms or fixed in INR.
 - iv. JSC, which has cooperated in the original investigation, the first sunset review and the present review, should be granted an individual rate, and the same rate and form of duty should be continued for it. A higher duty may be prescribed for 'all others'.
 - v. The allegations of over-invoicing and transshipment are unsubstantiated and sweeping and do not concern JSC.

F.2. Submissions by the domestic industry

- i. Under Article 11.3 of the Anti-Dumping Agreement and Section 9A(5) of the Act, duties are to be continued where the Authority determines that expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. There is no requirement to establish any 'exceptional' circumstance.
- ii. The CESTAT in All India Laminated Fabrics Manufacturers Association vs. DA held that the duties can be continued if the Authority, having conducted rigorous investigation, found likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
- iii. The Authority has continued duties in second, third and fourth sunset reviews in several cases, such as Acrylic Fibre, Caustic Soda, Phenol, Melamine, PTFE, Nylon Tyre Cord Fabric, etc. In fact, various other jurisdictions have also extended duties for more than 20 years, where warranted.
- iv. The present duties are in the form of a reference price fixed on the basis of the cost and price conditions of January–December 2014. The landed price of the subject imports during the POI is above the reference price but below the current non-injurious price for PCNs A-1-5 and A-1-6, and as long as imports are priced marginally above the reference price, they continue to cause injury. The reference price form has thus been rendered ineffective.
- v. While the request for modification of form and quantum of duty was not accepted in the previous review, the facts and circumstances of the present case are different and warrant such modifications.
- vi. The Authority has modified the form of duty from reference price to fixed duty in the past (Caustic Soda, CPVC, Measuring Tapes, Melamine, MDF, PTFE, Phenol, Sodium Nitrite, Viscose Filament Yarn). The Authority has also enhanced the quantum of duty in sunset reviews (Caustic Soda, PTFE, Atrazine (CVD), Glass Fibre).
- vii. The exporters in the subject country are resorting to unfair selling practices in order to avoid payment of duties.
- viii. Since the reference price duty is triggered only if the price of imports is lower than the fixed limit, the Chinese exporters are declaring an export price which is marginally higher than the benchmark determined by the Authority, in order to avoid paying the anti-dumping duties.
- ix. However, such price is only being declared at the Customs port and is not the price which is offered to the customers. The actual price offered to the customers is much lower than the price declared at customs port.
- x. Such low-priced imports are eventually entering the market and competing with the domestic industry.
- xi. The Chinese exporters are also resorting to transshipment of subject goods through third countries such as the UAE and Singapore.
- xii. Detailed market research reports submitted show that there are no production facilities in such countries and all exports are being made only through traders.
- xiii. Significant volume of exports in absence of any production facilities clearly shows that the traders in third countries are selling Chinese goods to avoid duty payment.
- xiv. The volume and price of such imports should be considered as part of subject imports.
- xv. The duty should be denominated in US\$/MT, since exporters transact in US\$; duty in INR would be rendered ineffective with depreciation of the rupee.
- xvi. The exchange rate has not protected the domestic industry against raw material price fluctuations.
- xvii. Individual duty for the cooperating exporter may be determined upon verification, but on the basis of the dumping margin and injury margin for the present POI, and not by merely continuing the earlier duty. Any differential treatment whereby the old duty is continued for the cooperating exporter while duty is modified for others would be discriminatory.

F.3. Examination by the Authority

28. As regards the contention that continuation of duty is an exception, the Authority notes that Section 9A(5) of the Act and Rule 23(1B) of the Rules, consistent with Article 11.3 of the Anti-Dumping Agreement, provide that the duty shall cease after five years unless the Authority, in a review, comes to the conclusion that the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Neither the statute nor the

jurisprudence relied upon prescribes any limit on the number of reviews or require the establishment of circumstances beyond a positive likelihood determination based on an objective examination of positive evidence. The Authority has undertaken such an examination in the present case, as set out in the following sections. The Authority notes that even when anti-dumping duty has been in place for about 10 years, the volume of imports in the present period is significantly high in both absolute terms and in relation to production and consumption in India. Further, the capacity utilization of the domestic industry is quite low, thus showing gross underutilisation of production capacities because of presence of dumped imports in the country. Economic performance of the domestic industry has shown deterioration in the present period, as is examined in detail in relevant paragraphs herein.

29. The domestic industry has placed market research report on record, which shows (a) absence of production facilities in these countries, (b) name of the companies who have exported the product to India (based on market source data on imports), and (c) the nature of operations of the trading company. Further, the domestic industry has also placed on record a report of the U.S Trade Representative titled “The Great Transshipment Scam” where it is noted that various third countries exporting the subject goods to India are regularly engaging in transshipment of Chinese goods. The matter has been examined. As regards the claim of transshipment, the Authority notes that the import data procured from DG Systems records imports of the product under consideration declared as originating in UAE and Singapore. While the domestic industry has placed on record market research regarding the absence of production facilities in these countries and the trading nature of the exporters, the Authority notes that determination of origin of the goods at the transaction level is a matter falling within the domain of the Customs authorities under the Customs Act, 1962. The Authority has, for the purpose of the present determination, considered as subject imports only those imports recorded as originating in China PR. The domestic industry is at liberty to approach the Authority under Rule 25 of the Rules with duly substantiated evidence of circumvention.
30. The domestic industry has requested for change in the form of duty in order to remedy the continued injury being caused by the dumped imports. The anti-dumping duty presently in force is in the form of a reference price, whereby duty equal to the difference between the reference price and the landed value of the imports is levied where the landed value is below the reference price. The domestic industry has submitted that the present duties have been ineffective in remedying the continued imports in significant volume despite duties in place for 10 years. Further, the domestic industry has claimed that due to the benchmark form of the duty, the Chinese exporters have aligned their prices to the reference price notified by the Authority. As such, the import prices being declared at the Customs port is at the level or slightly above the reference price, while the actual re-sale price offered to customers in the market is much lower. As a result, the domestic industry has contended that it has continued to face injury due to presence of low-priced imports. The other interested party has claimed that the form should not be modified since duties in the form of reference price was imposed at the request of the domestic industry. It has also been added that in case the duty is modified, JSC being the sole cooperative producer, should be given an individual rate.
31. The Authority notes that the reference price now in force was set on the cost and price conditions of the original period of investigation (January–December 2014). Those conditions are now more than a decade old. The record of the present review shows that most subject imports during the POI entered at landed values at or close to the reference price. This suggests that declared import prices may be gravitating towards the reference price rather than reflecting conditions in the market. At the same time, the domestic industry’s performance has deteriorated during the injury period, and the volume of subject imports has risen significantly. These facts raise a question about whether the present form of duty is still effective in removing the injury.
32. The fact that the reference price form was adopted at the domestic industry’s request in the original investigation does not bind the Authority in this review. The form of duty is to be decided on the record of the present proceedings, and in light of how the measure has actually worked over its life.
33. As regards the contention of JSC that the INR depreciation has increased the reference price by about 55% in rupee terms, the Authority notes that the exchange rate in the POI of the original investigation was 61.59, while the same was 73.17 in the POI of the previous sunset review. The exchange rate in the present POI is 86.76. Thus, the exchange rate is increased by 41% as compared to original investigation, and by 19% as compared to previous sunset review. It is thus incorrect that the change is 55%. Further, the relevant comparison is between the landed price of the imports and the current non-injurious price, both of which are determined afresh for the POI and in INR terms. Further, the majority of the imports in the present POI are at a price very close to the benchmark in place. The Authority also notes that duties denominated in US\$ are consistent with its established practice, since the export transactions are in US\$.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN**G.1. Submissions by other interested parties**

34. The other interested party has not made any submissions with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.

G.2. Submissions by the domestic industry

35. The domestic industry has submitted that, in terms of Paragraphs 7 and 8 of Annexure-I to the Rules, the normal value for Chinese producers is required to be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted to include a reasonable profit margin, unless the responding Chinese producers demonstrate that market economy conditions prevail. Since the sole cooperating producer / exporter has not claimed market economy treatment, normal value for the cooperating producer as well as all other producers / exporters should be determined as per Para 7 of Annexure-I of Anti-dumping Rules.

G.3. Examination by the Authority**G.3.1. Market economy treatment and normal value for China PR**

36. Article 15 of China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

37. The applicants have cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol. The applicants have claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicants that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate

that their cost and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure-I to the Rules.

38. In the present case, the only cooperating producer/exporter from China has not claimed market economy treatment. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I to the Rules, which states as follows:

“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Account shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

39. In the present case, there is no evidence of price or constructed value prevailing in a market economy third country brought forward by any interested party. Further, the product does not have a dedicated tariff code, to permit consideration of price of exports from a market economy third country to other countries, including India. The Authority has therefore, determined normal value as per the price payable in India, based on cost of production of the applicants, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

G.3.2. Export price

40. Before proceeding to the determination of the export price of the individual cooperating producer/exporter, the Authority considers it appropriate to record the following. The sole cooperating producer, Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co. Limited has exported [***] of the subject goods to India during the period of investigation. As against this, total imports of the subject goods from the subject country during the period of investigation are 1,53,069 MT, the exports of the cooperating producer constitutes about 5% of the total imports from the subject country, the balance having been exported by producers and exporters who have not responded to the Authority. Further, the Authority notes that producers / exporters that had participated in the previous investigations have continued to export the goods to India, but have chosen not to participate in the present review. The Authority accordingly notes that the export price of the cooperating producer is representative only of a very small volume exported by them, and cannot be regarded as representative of imports of the subject goods from the subject country as a whole.

Export price for Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co. Limited.

41. Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co. Limited (“JSC”) is a producer and exporter of the subject goods in China PR. It has exported [***] of the product under consideration directly to unrelated customers in India. The producer has exported only 2 PCNs during the period of review.

JSC → Unrelated customers in India

42. JSC has claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland freight and port handling, credit cost and bank charges. The adjustments have been verified with reference to the sample documents furnished pursuant to the desk verification. The Authority has calculated PCN-wise export price for exports of goods produced by Jiangsu Chengde and compared the same with the normal value for the respective PCN. A weighted average dumping margin was determined accordingly. The net export price and dumping margin so determined have been mentioned in the table below.

Export price for all other producers/exporters in China PR

43. For all other producers/exporters in China PR who have not cooperated in the present investigation, the export price has been determined on the basis of the facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined has been reported hereinbelow.

G.3.3. Dumping margin

44. Considering the normal value determined as above, and export price as determined, the dumping margin determined for the subject country is as follows:

Dumping Margin Table

SN	Name of Producer	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
3.	Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co. Limited	***	***	***	***	5-15%
4.	Any other producer	***	***	***	***	65-75%

45. The Authority notes that the dumping margins determined for the responding exporter and for all other producers/exporters in the subject country are positive and above the de minimis level, despite the anti-dumping duties in force.

H. DETERMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**H.1. Submissions by other interested parties**

46. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury, likelihood of recurrence or continuation of injury and causal link.
- The volume parameters of the domestic industry have improved: production of the PUC increased from 5,29,771 MT to 6,19,096 MT (17%), domestic sales from 4,37,475 MT to 5,15,983 MT, capacity utilisation from 46% to 49%, productivity per day from 1,472 MT to 1,720 MT and per employee from 181 MT to 205 MT, while inventories declined from 33 to 28 days of production. The market share of the domestic industry remained stable.
 - The low capacity utilisation is attributable to the domestic industry's own capacity expansion decisions and not to imports.
 - Imports from other countries are 9-24% cheaper than imports from China PR and yet have not displaced Chinese imports, showing that demand for Chinese goods is driven by supply reliability and product range, and not by price.
 - The export price of the domestic industry has declined by 33 index points, nearly twice the decline in its domestic price (18 index points), which shows that the price decline is due to global market conditions and not due to subject imports.

H.2. Submissions by the domestic industry

47. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury, likelihood of continuation of injury and causal link.
- The volume of the subject imports has increased over the injury period and have almost doubled when compared to the previous sunset review, despite duties.
 - The volume of subject imports has increased despite duties, while the volume of imports from other countries has declined.
 - The domestic industry has been forced to reduce its price due to decline in landed price despite the presence of anti-dumping duty, resulting in decline in its profitability.
 - Although cost of sales declined over the injury period, rate of decline in selling price of the domestic industry was higher than the decline in its costs.
 - Despite increase in demand for the subject goods over the injury period, the domestic industry was able to utilize only less than half of its capacity, despite having sufficient capacity, resulting in high fixed costs.
 - The domestic industry suffered loss of market share despite large unutilised capacities and no demand supply-gap.
 - Due to continued dumping, the domestic industry has suffered a sharp decline in its profitability.

- viii. The profits earned by the domestic industry declined by 98% over the injury period, while the cash profits also declined by 81%.
- ix. Despite operating on significantly depreciated plants established over 30 years ago, the domestic industry is unable to earn a reasonable return due to the adverse impact of dumped imports.
- x. The current return recorded by the domestic industry falls even below the interest available on ordinary savings accounts.
- xi. Profit margin of the domestic industry declined significantly due to reduction in price.
- xii. Injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject country.
- xiii. No other factor has caused injury to the domestic industry, and such injury is attributable only to the subject imports.
- xiv. Imports from other countries constitute mere 7% of the total imports into the country and hence, cannot cause injury to the domestic industry. In all likelihood, they have been produced in China and merely trans-shipped from third country to avoid duty.
- xv. The decline in global prices does not negate dumping, as subject imports continue to enter India below the normal value and non-injurious price, forcing the domestic industry to reduce its prices and suffer injury.

H.3. Examination by the Authority

48. The Authority has taken note of the submissions of the interested parties. The injury analysis has been made in accordance with Rule 11 and Annexure-II to the Rules, having regard to the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles, and the consequent impact on the domestic producers of such articles. In a sunset review, where the anti-dumping duty is in force, the Authority is required to examine whether injury has continued despite the duty, and whether there is likelihood of continuation or recurrence of injury if the duty were allowed to cease.

H.3.1. Assessment of demand/apparent consumption

49. The Authority has determined the demand or apparent consumption of the product under consideration in India as the sum of the domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The domestic industry has not captively consumed the subject goods.

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Sales of domestic industry	MT	437,475	440,731	479,876	512,767
Sales of Other producers	MT	25,406	25,595	27,868	29,778
Subject imports	MT	100,118	168,986	138,913	153,069
Other imports	MT	46,010	76,315	66,577	54,003
Total demand	MT	609,009	711,627	713,234	749,617

50. The demand for the product under consideration has increased by 23% over the injury period.

H.3.2. Volume effect of dumped imports

51. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The import volumes from subject country during the injury period are as below.

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Subject imports	MT	100,118	168,986	138,913	153,069
Other imports	MT	46,010	76,315	66,577	54,003
Total imports	MT	146,128	245,301	205,490	207,072
Subject imports in relation to:					
– Total imports	%	69%	69%	68%	74%

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
– Indian production	%	18%	33%	25%	23%
– Indian consumption	%	16%	24%	19%	20%

52. The Authority notes that the volume of subject imports has increased in absolute terms by 53% over the injury period, in spite of the anti-dumping duty in force, and at a rate higher than the growth in demand (23%). The subject imports have also increased in relation to Indian production and consumption, and their share in total imports increased to 74% over the injury period. Despite no demand-supply gap in the country, production capacities by the domestic industry are significantly under-utilised, and domestic industry is selling the product materially below a price that would allow reasonable return on investment to the domestic industry (the returns earned by the domestic industry in the POI was quite low). While the sales of the domestic industry increased only by 17%, dumped imports increased by 53%. The domestic industry contended that the import prices are being aligned to the benchmark and imports are being made practically without payment of ADD, resulting in increase in imports.

H.3.3. Price effect of dumped imports

53. The price effect of the dumped imports has been examined in terms of Para (ii) of Annexure-II to the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, which provides as follows:

“While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India, and with regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the designated authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.”

54. A reading of the above provision shows that the price effect of the dumped imports is to be examined with reference to three independent and disjunctive parameters, namely (a) significant price undercutting, (b) significant price depression, and (c) significant price suppression, i.e. prevention of price increases which would otherwise have occurred. The said parameters are connected by the disjunctive expression “or”, and the existence of any one of them is sufficient to establish that the dumped imports have had an adverse effect on the prices of the domestic industry. The absence of price undercutting in a given period does not, therefore, preclude a finding of price depression or price suppression.

a. Price undercutting

55. The price undercutting has been determined by comparing the landed price of the subject imports with the net sales realisation of the domestic industry, PCN-wise, for the POI. The landed price has been determined on the basis of the CIF value as per DG Systems data, with the addition of the applicable basic customs duty and social welfare surcharge.

PCN	Import volume (MT)	Landed price (₹/MT)	Net selling price (₹/MT)	Price undercutting (₹/MT)	Price undercutting (%)	Price undercutting (Range)
A-1-5	1,33,370	87,323	***	***	***	Negative
A-1-6	16,278	1,06,858	***	***	***	5-15%
A-1-7	2,031	1,67,556	***	***	***	Negative
A-1-8	1,390	1,28,160	***	***	***	10-20%
Total	1,53,069	90,850		***	***	Negative

56. The Authority notes that the weighted average landed price of imports is above the net sales realization of the domestic industry for PCNs A-1-5 and A-1-7. However, the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry with respect to PCNs A-1-6 and A-1-8. Overall, the price undercutting is negative. The domestic industry has submitted that the import prices have been aligned to the benchmark and the imports are being made by traders who are reselling the imported product at a price lower than landed price of imports. The

domestic industry contended that since the imported product is being resold at lower price, the domestic industry is being forced to sell at lower prices.

b. Price suppression and depression

57. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices to a significant degree or whether the effect of such imports is to suppress price to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has examined the changes in the costs of sales and net sales realization of the domestic industry over the injury period.

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	91	92
Net selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	83	82
Landed price	₹/MT	102,242	92,446	91,910	90,850
Trend	Indexed	100	90	90	89

58. The Authority notes that the cost of sales and selling price of the domestic industry have declined over the period. However, the selling price declined at a much higher rate than the decline in the cost of sales, due to the presence of significantly low-priced imports. It is seen that whereas cost of sales declined by 8%, selling price of the domestic industry declined by 18%, as a result of decline in import price. It is also noted that the domestic industry contended that the import prices in the POI were aligned to the benchmark in order to avoid payment of ADD and the imported product has been resold in the market at a price lower than the import prices. The subject imports have thus depressed the prices of the domestic industry, as a result of which the margin between the selling price and cost of sales of the domestic industry fell sharply.

H.3.4. Economic parameters of the domestic industry

59. Annexure-II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products, including an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilisation of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, and ability to raise capital investments. The economic parameters of the domestic industry are analysed hereunder.

a. Production, capacity, capacity utilisation and sales

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Installed capacity	MT	17,65,000	17,65,000	17,65,000	17,65,000
Production (PUC + NPUC)	MT	792,470	748,415	828,577	851,440
Capacity utilisation	%	45%	42%	47%	48%
Production – PUC	MT	526,959	489,681	538,121	617,542
Domestic sales	MT	437,475	440,731	479,876	512,767
Export sales	MT	95,000	51,344	64,212	91,311

60. The Authority notes that the capacity of the domestic industry remained unchanged over the injury period. However, the domestic industry holds capacities sufficient enough to meet the present and potential demand in the Country. Profile of the imports shows that majority (88%) of imports are of the most basic product in the industry (hot rolled line pipe). This product is being offered by all the domestic producers forming part of the domestic industry.

61. The production and domestic sales of the domestic industry increased over the injury period. However, whereas the demand for the product increased by 23%, the production and domestic sales of the domestic industry increased only by 17%. Further, the domestic industry has operated at less than 50% of its installed capacity throughout the injury period. The contention of other interested parties that underutilisation is on account of capacity expansion by the domestic industry is not supported by information on record. The installed capacity of the domestic industry has remained constant throughout the injury period. The capacity utilization of the domestic industry has remained low throughout the injury period.

b. Market share

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Domestic industry	%	72%	62%	67%	68%
Other Indian producers	%	4%	4%	4%	4%
Subject imports	%	16%	24%	19%	20%
Other imports	%	8%	11%	9%	7%

62. The market share of the domestic industry declined from 72% in the base year to 68% in the POI, while that of the subject imports increased from 16% to 20% over the same period, despite the domestic industry having adequate capacity to cater to the demand.

c. Profitability, cash profits and return on capital employed

63. Profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry over the injury period are as per the table below.

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	91	92
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	83	82
Profit / (loss)	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	21	6
Profit / (loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	23	6
Cash profits	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	36	24
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	31	17

64. The Authority notes that every profitability parameter of the domestic industry deteriorated steadily and sharply over the injury period:

- Profit per MT fell from ₹*** in 2022-23 to ₹*** in the POI, a decline of about 94%. Total profits fell from ₹*** lacs to ₹*** lacs, a decline of about 94%.
- Cash profits fell from ₹*** lacs to ₹*** lacs, a decline of about 76%. This has reduced the industry's internal resources for maintaining its operations and funding investment.
- Return on capital employed fell from ***% to ***%, a decline of about 83%. A return of ***% is below any reasonable cost of capital and cannot sustain the industry's operations over the long term.

65. The domestic industry has submitted that its profit margin fell sharply because dumped imports in increasing volumes forced it to reduce its prices, and because the present form of the anti-dumping duty has been ineffective. It contends that importers aligned their declared import prices with the benchmark notified by the Authority but resold the imported product below those declared prices. This, it says, forced the domestic industry to sell at injurious prices. The domestic industry's profit margin on net sales realisation fell from ***% in 2022-23 to a negligible ***% in the POI, as shown below.

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***	***
Profit before Tax	₹/MT	***	***	***	***
Profit margin	%	***	***	***	***
Profit margin	Indexed	100	93	25	7

d. Employment, wages and productivity

66. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
No. of employees	No.	2,930	2,882	2,814	3,018
Salaries & Wages	₹ lakhs	21,979	22,655	22,686	24,804
Productivity per day	MT/Day	1,464	1,360	1,495	1,715
Productivity per employee	MT/No	180	170	191	205

67. The number of employees and wages paid by the domestic industry have increased over the injury period. The productivity of the domestic industry has also increased during this period due to increase in production. The domestic industry has not claimed injury on this account.

e. Inventories

68. Inventories of the domestic industry over the injury period are as per the table below.

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Opening inventory	MT	53,401	48,258	45,335	37,762
Closing inventory	MT	48,258	45,335	38,604	52,125
Average inventory	MT	50,829	46,796	41,969	44,943
Trend	Indexed	100	92	83	88

69. It is seen that the inventories of the domestic industry have declined over the injury period.

f. Growth

70. The growth of the domestic industry in terms of volume and profitability parameters is as under.

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Installed Capacity	%	-	0%	0%	0%
Production	%	-	-7%	10%	15%
Domestic sales	%	-	1%	9%	7%
Profit / (loss) per unit	%	-	-12%	-77%	-73%

Cash profits	%	-	-5%	-62%	-33%
Return on capital employed	%	-	-5%	-68%	-46%

71. It is seen that the subject imports have impacted the growth of the domestic industry. While the growth in volume parameters is positive, the imports have increased in absolute terms, thus showing that the continued dumped imports have adversely impacted the growth of the domestic industry. Further, the growth in price parameters is negative. The domestic industry has faced significant decline in profits earned and has recorded very low returns on its capital employed.

g. Ability to Raise Capital Investment

72. It is seen that the profitability of the domestic industry has declined significantly and the domestic industry has earned significantly low profits and cash profits in the period of investigation. Thus, the imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise capital investment in future.

h. Magnitude of dumping

73. The dumping margins determined for the subject country are positive and significant, as set out in Section G above.

H.3.5. Magnitude of injury margin

74. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in Annexure-III to the Rules, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the POI. The NIP has been considered for comparison with the landed price of the subject imports for calculating the injury margin. For determination of the NIP, the best utilisation of raw materials and utilities has been considered over the injury period; the best utilisation of production capacity over the injury period has been considered; extraordinary or non-recurring expenses have been excluded; and a reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed for the product under consideration has been allowed, as prescribed in Annexure-III.
75. The landed price for JSC has been determined on the basis of its verified CIF export price, with the addition of basic customs duty and social welfare surcharge at the effective rates applicable to its transactions as recorded in DG Systems data. The landed price for all other producers/exporters has been determined on the basis of DG Systems data.
76. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Injury Margin

SN	Name of Producer	Non-Injurious Price	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
3.	Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co. Limited	***	***	***	***	Negative
4.	Any other producer	***	***	***	***	30-40%

77. The Authority notes that the injury margin is marginally negative for the cooperating exporter, and positive for the non-cooperating producers/exporters.

H.3.6. Analysis of injury

78. The Authority notes that the volume of subject imports has increased in absolute terms and in relation to production and consumption in India despite the anti-dumping duty in force. The imports are largely of hot finished line pipe, which is the majority product for the domestic industry. The price undercutting on the basis of weighted average landed price of imports is negative. The domestic industry has however contended that the imports have been made primarily by the traders, import prices have been aligned to the benchmark notified by

the Authority and the imported product has been resold at a price lower than the import price. Resultantly, the domestic industry has been forced to sell the product at lower prices. The subject imports have depressed the prices of the domestic industry, with the domestic industry forced to reduce its prices at a rate much higher than the decline in its costs. Although the domestic industry has registered growth in production and sales, it has lost market share and has operated at less than 50% capacity utilisation throughout the injury period even when domestic industry could have catered to this demand in the Country. Performance of the domestic industry has very sharply deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital. The return on capital employed is at unsustainable levels for long term operations of the domestic industry. Thus, the Authority concludes that the domestic industry has continued to suffer injury during the POI despite the anti-dumping duty in force and its performance has deteriorated in the current injury period.

I. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

I.1. Submissions by other interested parties

79. The submissions made by the other interested parties are as below.

- i. JSC's exports to India have not increased over the injury period.
- ii. JSC's installed capacity and utilization has remained stable, leaving no meaningful surplus capacity for diversion to India.
- iii. JSC's export price to India is about 30% higher than its domestic price in China PR, and India is a premium market for JSC.
- iv. The data relied upon by the domestic industry is aggregate, macro-level data which does not address the conduct of JSC. The projected loss scenario is speculative and premised on unsubstantiated assumptions.

I.2. Submissions by the domestic industry

80. The submissions made by the domestic industry are as below.

- i. The exporters in China have a history of dumping, evident from the significant dumping margins calculated in the original investigation and the first sunset review.
- ii. The rate of increase in volume of imports has outpaced the rate of increase in the demand in the country, which indicates that in case of expiry of duties, the subject imports would flood the Indian market.
- iii. Cessation of duty will lead to significant increase in dumping of subject goods in the Indian market since the producers in China have large production capacities.
- iv. The producers in China have significant underutilised capacities. Even a small increase in the capacity utilization of idle capacities can capture the entire demand in India and thus, cessation of duty will likely lead to diversion of subject goods into India.
- v. The producers in China are largely export oriented with half of the total production capacity intended for exports due to limited demand in China.
- vi. Various countries such as USA, European Union, Canada, Brazil, Mexico and Ukraine have imposed trade remedial measures against imports from China, which has restricted market access for Chinese goods.
- vii. Countries including USA, European Union and Canada have also imposed other tariff and non-tariff measures leading to further restriction of available market for the Chinese producers.
- viii. Despite anti-dumping duties, the domestic industry is facing intense price pressure and declining profitability and returns, which is likely to aggravate if the duty is allowed to expire.
- ix. Given the landed price of imports, in the event of cessation of duty, the domestic industry would be forced to reduce its price and would incur losses, with a negative return on investment.
- x. Expiry of duties is likely to intensify dumping and cause severe injury to the already fragile domestic industry.

- xi. Likelihood analysis cannot be done solely based on the limited information of one producer which accounts for ~5% of exports from China, unless it provides information for the subject country as a whole.

I.3. Examination by the Authority

81. The present investigation is a sunset review, wherein the Authority is required to examine whether the expiry of the anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The Rules do not prescribe a specific methodology for the likelihood analysis. The Authority has examined the likelihood having regard to the factors in Article 11.3 of the Anti-Dumping Agreement and Section 9A(5) of the Act, and the factors referred to in Article 3.7 of the Agreement, namely the rate of increase of dumped imports, freely disposable capacity of the exporters, prices of imports and inventories, to the extent relevant. The Authority has examined all the relevant information brought on record by the domestic industry and the other interested parties and has noted as below.
82. With regards to the arguments that JSC has not witnessed any large capacity expansions, does not have any idle capacities and its exports realization is higher than its domestic prices, the Authority notes that the likelihood determination is made with respect to the subject country as a whole. The data of a single exporter accounting for about 5% of the subject imports cannot by itself negate the likelihood established on the basis of the country-level evidence.

I.3.1. Continued dumping despite duties

83. The dumping margins determined for the POI are positive and significant, both for the responding exporter and for the other producers/exporters. The dumping margins in the original investigation and first sunset review were also significant. The exporters have thus continued to export at dumped prices over a prolonged period, and it is likely that dumping would continue, or intensify, in the absence of duty.

Investigation	Dumping margin (Range)
Original investigation	20 - 30%
First sunset review	25 - 35%

I.3.2. Increase in volume of subject imports

84. The volume of subject imports increased by 53% over the injury period, at a rate higher than the growth in demand. Further, the volume of imports in the POI exceeded the entire volume of subject imports in the POI of the first sunset review, which covered a wider product scope. The subject imports have thus continued to enter in increasing volumes, indicating a likelihood of further increase upon cessation of ADD.

Investigation	Period	Volume of imports (MT)
First sunset review with wider product scope	Apr 2019 - Sept 2020	73,628
Second sunset review	Oct 2024 – Sept 2025	1,53,069

85. It is also seen that 88% of total imports are of hot finished pipes. These are the majority products for the domestic industry. Thus, there is increased likelihood of increase in imports in a short duration in the event of cessation of ADD.

I.3.3. Rate of increase in imports

86. It is seen that the volume of imports has continued to increase over the period. Further, such increase in the volume of imports is higher than rate of increase in demand. Whereas demand for the product increased by 23%, imports increased by 53%. In case duties are allowed to expire, the volume of imports would not only continue to increase, but also would intensify significantly and would further erode the market share of the domestic industry. It is noted that the exporters from the subject country have continued to dump the subject goods in India despite anti-dumping duties. Further, as can be seen from above, the dumping margin for the exporters was significant in the original investigation and the first sunset review, indicating a tendency to dump. Thus, in the event of cessation of duties, the dumping is likely to continue and / or intensify.

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Demand	MT	609,009	711,627	713,234	749,617

Trend	Indexed	100	117	117	123
Subject imports	MT	1,00,118	1,68,986	1,38,913	1,53,069
Trend	Indexed	100	169	139	153

I.3.4. Surplus capacities available with Chinese producers

87. The applicants have reported that producers in the subject country have large production capacities, to the tune of 25.65 million MT as per market research agency report. Further, the applicants have submitted that certain producers have individual capacities higher than the demand in India. It is noted that the production capacities in the subject country are much higher than the demand in India. Such capacities can be used to dump the subject goods in case of expiry of duties. The Authority notes the argument of JSC that its export realisations are better than domestic market realisation, showing that Indian market is a lucrative market for the Chinese producers. Thus, cessation of ADD would not only allow the Chinese producers to utilise their production capacities, but also divert their current sales to the Indian market.

I.3.5. Significantly underutilized capacities

88. The applicants have further submitted that the production volume of the Chinese producers is much lower than the capacities available with them. It is seen that the producers in the subject country have large idle capacities which can be utilized for increasing exports to India.

Figures in millions MT

Particulars	2024
Capacity	25.65
Production	17.37
Idle capacity	8.28
Idle capacity (%)	32%
Idle capacity in relation to demand in India (%)	1103%

Source: Market research agency report

I.3.6. Capacities set up predominantly for exports

89. The applicants have also claimed that in view of limited demand of the subject goods in China, the capacities installed are largely intended for exporting the subject goods. As can be seen from the table below, almost half of the total production capacities in the country are intended for exports. The applicants have also relied upon the report of Global Steel Trade Monitor to show that China is the highest exporter of steel and steel products globally. Further, JSC contended that its export realisations are better than domestic realisations. Thus, in case of cessation of duties, the exports can be diverted to India.

Figures in millions MT

Particulars	2024
Capacity	25.65
Consumption	13.30
Capacity intended for exports	12.35
Capacity intended for exports (%)	48%
Exportable capacity in relation to Indian demand (%)	1646%

Source: Market research agency report

I.3.7. Trade remedial measures in third countries

90. The Authority notes that exports of the subject goods from China PR face anti-dumping and/or countervailing measures in the EU, Canada, Brazil, Mexico, Ukraine and the USA. As a result of such duties, the third country markets are limited for the producers, making India a lucrative market.

S.N.	Country	Product	Date of imposition of Measure	Duty
7.	EU	All seamless pipes and tubes of iron	May 2017	ADD – 29.2 to 54.9%
8.	Canada	Seamless line pipes	March 2016	ADD – Upto 351.4% CVD – 12.10 to 989.97 RMB/MT
9.	Brazil	Non-alloy carbon seamless steel pipes seamless	July 2016	ADD – 1009.29 to 1356.90 USD/MT
		Seamless carbon steel pipes for conduits	September 2011	ADD – 743 USD/MT
10.	Mexico	Seamless pipes and tubes	January 2014	ADD – 1568.92 USD/MT
11.	Ukraine	Hot-deformed seamless steel pipes	June 2020	ADD - 51.52%
12.	USA	Seamless Carbon and Alloy Steel Line, and Pressure Pipe	November 2010	ADD – Upto 98.37% CVD – 13.66 to 57.67%

I.3.8. Other measures imposed by third countries

91. In addition to the above, it is noted that the USA has imposed tariffs of 50% on steel and steel products under Section 232, the EU has introduced the Carbon Border Adjustment Mechanism, and Canada has introduced additional steel tariffs. With the major import markets restricted, India, with a growing demand, is an attractive market for diversion of Chinese exports in the event of cessation of duties.

I.3.9. The situation of the domestic industry continues to remain fragile

92. It is seen that the subject goods have continued to be dumped in the Indian market despite duties. The dumped goods account for significant share in the market. As a result, the profitability parameters of the domestic industry have very significantly declined over the injury period. Further, the domestic industry is faced with significant under utilisation of its production capacities. Thus, if the duties are allowed to expire, the subject imports will have a further adverse impact on the performance of the domestic industry.

I.3.10. Likely impact on the domestic industry

93. The applicants have claimed that despite anti-dumping duties, the subject imports have created a strain on the prices of the domestic industry, forcing it to sell its product at the cost of its profitability. However, domestic industry contended, if the duties expire, the domestic industry would be forced to further reduce prices, given that imported product is being sold significantly at lower prices than the imported price. This would further deteriorate the profitability of the industry. It is seen that considering the current prices of the domestic industry, reduction of even 1% in prices shall lead to financial losses to the domestic industry.

I.3.11. Analysis of likelihood of continuation / recurrence of dumping, and injury in the event of cessation of ADD

94. On the basis of the above, the Authority concludes that there is a likelihood of continuation of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of the anti-dumping duty on imports of the subject goods from China PR. The domestic industry is already suffering deterioration in its performance despite existing ADD. The performance of the domestic industry is likely to deteriorate further.

J. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

95. As per the Rules, the Authority is required to, inter alia, examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority has examined whether other known factors listed under the Rules could have contributed to the injury to the domestic industry, so that injury caused by such factors is not attributed to the dumped imports.

J.1 Non-attribution analysis

96. It was examined whether other factors listed under the Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry. The following is noted in this regard.

i. Volume and price of imports from third countries

97. Other than imports from China PR, there are imports from UAE, Saudi Arabia, Singapore and USA are above de-minimis levels. Imports from rest of the other countries are below de-minimis levels.

98. The Authority notes that the present investigation is a sunset review under Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975, read with Rule 23 of the Anti-Dumping Rules and Article 11.3 of the Anti-Dumping Agreement. Its scope is set by the measure under review: the anti-dumping duty in force on imports of the subject goods from the subject country, China PR. The Authority is required to determine whether expiry of that duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

99. The Authority notes that during the POI, the subject goods were also imported in significant volumes from USA, Saudi Arabia, Singapore and UAE at prices below those of the subject imports. These countries are not covered by the measure under review or by the present investigation. No application has been filed before the Authority on imports from them. The Authority therefore has not examined, and makes no determination on, whether imports from these countries are dumped or injurious. If the domestic industry considers that imports from any of these countries are dumped and are causing injury, it may file a duly substantiated application under Rule 5 of the Rules. Any such application will be considered separately on its merits.

100. The domestic industry has submitted that neither Singapore nor the UAE has facilities to produce the subject goods. It contends that imports declared as originating from these countries are in fact Chinese goods transshipped through them to avoid the duty in force. The Authority notes that whether imports from these countries circumvent the duty in force is a separate matter, governed by Rule 25 of the Rules.

ii. Contraction in demand

101. The demand for the subject goods has increased by 23% over the injury period and is not expected to decline. Injury to the domestic industry is, therefore, not likely to be caused due to any contraction in demand.

iii. Changes in the pattern of consumption

102. There is no evidence on record of any change in the pattern of consumption of the subject goods, which has caused or is likely to cause injury to the domestic industry.

iv. Trade restrictive practices and competition between domestic and foreign producers

103. There is no trade restrictive practice which could have contributed, or is likely to contribute, to the injury. The import of the subject goods is freely permissible.

v. Developments in technology

104. No interested party has submitted evidence of any significant change in technology that could have caused injury to the domestic industry.

vi. Export performance of the domestic industry

105. The injury analysis has been carried out with reference to the domestic operations of the domestic industry only. JSC has contended that the export price of the domestic industry declined faster than its domestic price, indicating global price trends. The Authority notes that the information on injury relates to domestic operations, and that even with the decline in global prices, the landed price of the subject imports was below the cost of sales of the domestic industry in India during the POI. The fall in export prices cannot explain the price depression suffered in the domestic market.

vii. Performance of other products

106. The data considered by the Authority relates only to the product under consideration.

viii. Productivity

107. The productivity of the domestic industry has improved over the injury period and cannot be a cause of injury.

J.2 Causal link

108. The following parameters establish causal link between the dumped imports and injury to the domestic industry.
- Despite anti-dumping duties in force, the subject imports have continued to enter the domestic market at dumped prices.
 - The subject imports have increased in absolute terms and in relation to domestic production and consumption over the injury period.
 - As a result, the market share of the domestic industry has declined over the injury period, while that of the subject imports has increased over the period.
 - The domestic industry was forced to reduce its selling price at a rate higher than decline in costs, in order to compete with the dumped imports.
 - As a result, the domestic industry faced significant decline in its profits and its cash profits declined.
 - This resulted in the domestic industry earning very low returns on its investment.
 - While the capacities have remained stable and production has increased, the domestic industry operated at very low capacity utilisation.
109. In view of the above, the Authority concludes that the injury suffered by the domestic industry is on account of the dumped imports from the subject country, and that the other known factors have not caused injury to the domestic industry.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES**K.1. Submissions of other interested parties**

110. No submissions have been made by any importer / user / consumer with regard to the Indian industry's interest.

K.2. Submissions of domestic industry

111. The following submissions have been made in this regard.
- The continuation of anti-dumping duty is in public interest and will have no adverse impact on downstream users or end-consumers.
 - The absence of participation by users or consumers indicates that the anti-dumping duties have not had any significant adverse impact on them and that continuation of duties remains in the public interest.
 - The subject goods are majorly used in large scale refineries or boilers which are greenfield or brownfield capacity establishments, wherein they constitute only a negligible share in the total cost of such large-scale projects.
 - Continuation of duties would have a minuscule impact of about 0.01% on the total project cost.
 - The subject goods have a long lifespan of 25-30 years, and the impact of continued duties would be negligible when spread over the life of the project.
 - The domestic industry holds a total capacity of 17,65,000 MT as against a demand of 7,95,620 MT. Hence, there is no demand-supply gap in the country.
 - Rashmi Seamless Limited has announced capacity additions of 1,50,000 MT in their second phase and a further addition of 2,50,000 MT in their third phase. Expiry of anti-dumping duties would discourage investment and jeopardize planned capacity expansions by the Indian industry.
 - A strong and financially healthy domestic seamless pipe industry is critical to support India's energy security, infrastructure development, and strategic national priorities.
 - The domestic industry has made substantial investments in capacity expansion and import substitution in line with Atmanirbhar Bharat and Make in India initiatives. The domestic industry has developed and indigenized several critical high-value products. Hence, it requires continued support.
 - Expiry of duties would undermine the substantial investments made by the domestic industry in capacity expansion, product development, and obtaining critical technical approvals.

- xi. Preservation of a healthy domestic industry will support substantial direct and indirect employment across the value chain and ensure fair competition among domestic producers who are unable to compete with unfairly low-priced imports.
- xii. Continuation of duties would create a level playing field by ensuring that imports compete at fair prices and would promote forex savings by reducing dependence on unfairly priced imports and supporting domestic production.

K.3. Examination by the Authority

112. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. This is not merely a regulatory measure, but a matter of national interest. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the continuation of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the continuation of these measures. Far from diminishing competition, anti-dumping measures serve to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. They safeguard the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices. In this regard, the Hon'ble Supreme Court in *Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority & Ors.* observed that dumping may provide transitory benefits to consumers in the short term on account of lower prices, but in the long run may adversely affect domestic industry and competition in the market.
113. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations.
114. The Authority notes that no importer, user or consumer of the subject goods has participated in the present investigation or filed an economic interest questionnaire response.
115. The domestic industry has submitted that the subject goods are capital goods with a life of 25-30 years used predominantly by large corporations in hydrocarbon, refinery, power and boiler sectors. Further, the domestic industry has claimed that users are not part of the MSME sector, and are majorly large-scale corporations. It is noted that the product is purchased and used at the time of setting up large-scale refinery or boiler projects. The product under consideration accounts for a very negligible share in the total cost of such large-scale projects. Considering the same, continuation of duties would have negligible impact of only 0.09% on the costs of the downstream users, as can be seen from the table below. Further, since the goods have a life span of up to 30 years, the annual impact spread over 3 decades would be even less.

Particulars	Unit	Value	Remark
Cost of HPCL Rajasthan Refinery Limited project	₹ crores	79,459	A
Subject goods supplied	MT	50,000	B
Landed price	₹/MT	90,850	C
Total value of PUC supplied	₹ crores	454	$D = B \times C / 10^7$
Share of cost of PUC in total cost of project	%	1%	$E = D / A$
Anti-dumping duty claimed	₹/MT	***	F
Duty payable	₹ crores	***	$G = F \times B / 10^7$
Impact on total cost of project	%	<0.1%	$H = G / A$

Source: Domestic industry's written submission and injury annexures

116. It is noted that there is no demand-supply gap in the country necessitating dumped imports into the country. The Authority notes that the domestic industry has significant capacities which are sufficient to meet the entire present and foreseeable demand in the country. There are a number of producers of the subject goods in the

country, providing sufficient choices to the users. Thus, continuation of duties would not hamper the availability of the subject goods in the market.

117. The Authority further notes that none of the users have participated in the present review to claim / demonstrate that imposition of duties in the past has negatively impacted their operations. It is noted that present duties have not adversely impacted the user industry, which is evident from the absence of any user participation. Thus, continuation of duties is also not likely to have any adverse impact on the downstream users. In contrast, the anti-dumping duties have created a fair market condition in the country, which has enabled the Indian industry to sustain its production and sales volumes. Thus, continuation of duties would allow the Indian industry to remain healthy and further improve its economic parameters, in absence of any unfairly priced imports in the market creating pressure on the domestic prices.

L. POST-DISCLOSURE COMMENTS

118. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government, to all interested parties on 14th October 2026. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

L.1. Submissions by the other interested parties

119. The other interested parties have made the following submissions post issuance of the disclosure statement:
- The Authority should confirm the dumping margin in range of 5-15% and negative injury margin determined for Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co. Limited in the final findings.
 - Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, Rule 23 and 17 of the Anti-Dumping Rules and Paragraph 17.29 of the Manual of Operating Practices clearly provided that duties can be modified or revised in a review.
 - Simply extending the original duty without giving effect to the margins found in this review would make the review pointless.
 - The CESTAT has, in various cases, held that the Authority may recommend a duty higher or lower than the original duty in a sunset review to remedy the injury, or else, the purpose of a review would be defeated, which includes (a) Robin Resources vs. Designated Authority (2016 (342) E.L.T. 118); (b) Shanghai Fortune Chemical Company Ltd. vs. Designated Authority (2016 (342) E.L.T. 578); and (c) Indian Graphite Mfrs. Assn. vs. Designated Authority (2006 (199) E.L.T. 722). This has also been the practice of the Authority in many cases.
 - Continuing the original rate and form of duty for Jiangsu Chengde, despite the fresh margins found in this review, would over-protect the domestic industry, and would go beyond what is “necessary” to remove injury under Rule 23(1) read with Rule 17.

L.2. Submissions by the domestic industry

120. The domestic industry has made the following submissions post issuance of the disclosure statement:
- There is a need to modify the quantum and form of current duties in place since the reference price duty is based on the cost and price data for the period of investigation in the original investigation, which is more than 10 years old. The duties have been ineffective in providing relief to the industry.
 - The volume of imports has increased in the current period, despite anti-dumping duties in place, particularly of hot-rolled line pipes which is the most basic product.
 - Chinese exporters have aligned their prices to the reference price. The exporters have quoted a price in the range of USD 650–850/MT, which is well below the current NIP, as can be seen from the price quotations of Chinese producers as well as the invoices of re-sale of products by traders in the market. However, the import prices declared to Indian customs are at or just above the reference price.
 - The domestic industry’s current NIP is higher than the reference price as well as landed price, and thus, as long as the landed price stays just above the reference price, imports will keep causing injury.
 - The prices of steel billets declined over the injury period and were lowest during the period of investigation but increased thereafter, as can be seen from the break-up of costs submitted. A benchmark based on such prices would not reflect the domestic industry’s current costs or fair price, and would again become ineffective.

- f. Despite anti-dumping duties, the domestic industry has continued to suffer injury and its profitability has declined.
- g. The domestic industry earlier filed an application for mid-term review for a change in the form and amount of the duty, which was not accepted. If the duty is not changed in this sunset review either, the domestic industry will be left without a remedy.
- h. Section 9A(5) read with Rules 23(1B), 23(3) and 17(1)(b) of the Anti-Dumping Rules, allow the Authority to modify duties in a sunset review and recommend a duty that would remove the injury to the domestic industry. The CESTAT has upheld this position in various cases, such as (a) Association of Synthetics Fibre Industry vs. Union of India (2010 (256) E.L.T. 745); (b) Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. vs. Designated Authority (2010 (253) E.L.T. 564); (c) Robin Resources vs. Designated Authority (2016 (342) E.L.T. 118); (d) Shanghai Fortune Chemical Company Ltd. vs. Designated Authority (2016 (342) E.L.T. 578); and (e) Indian Graphite Mfrs. Asscn. vs. Designated Authority (2006 (199) E.L.T. 722).
- i. The Authority has, in various past investigations, modified the quantum and form of duties in sunset reviews based on the facts and circumstances of each case.
- j. The subject goods are mainly used in refinery boiler systems, heat exchangers, mechanical, structural and general engineering applications. Even if duties upto 10% are imposed, the impact of such duties in individual equipment would be no more than 3% and would be even lower when seen over the 30-year lifespan of the equipment.
- k. The Authority should confirm its observations with respect to product under consideration, domestic industry and standing, dumping, injury and likelihood of continuation of dumping and injury in case duties are allowed to expire.

L.3. Examination by the Authority

121. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that some of the comments have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry, which are considered relevant by the Authority, and which have not been already examined above, are examined below.
122. The domestic industry has reiterated its request for change in the form of duties in order to remedy the continued injury being caused by the dumped imports. The domestic industry has submitted evidence in the form of price quotations, invoices issued by traders, consumption prices of the raw material, prescribed legal position and past practice of the Authority. Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co. Limited has also sought modification of the form of duty and fixation of ADD based on dumping and injury margin found by the authority.
123. As noted above, the current duty in the form of reference price was determined on the basis of the cost and price conditions prevailing in the POI of the original investigation. (Jan-Dec 2014) Despite duties, the volume of imports has been increasing in the current injury period, as the subject imports have continued to enter at prices just above the reference price for the PCNs commanding predominant share in imports. Further, the performance of the domestic industry has deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed. The domestic industry is suffering from gross under-utilisation of production capacities, while imports have been increasing. The increase in import volumes is in respect of the product type which is not only being produced by all the three domestic producers, but also which constitutes majority share in the product profile of these domestic producers. Thus, considering the factual matrix of the case wherein the domestic industry is suffering deterioration in its price parameters and under-utilisation of production capacities, while import volumes are rising, the Authority deems it appropriate to modify the form of duty from reference price to a fixed duty expressed in US\$ per MT, being the lesser of the dumping margin and injury margin determined in the present review, so as to remove the continued injury suffered by the domestic industry.
124. The domestic industry has submitted that continuation of duties would not adversely impact any downstream user. The domestic industry has submitted that even if duties upto 10% are imposed, the impact of such duties would be negligible on various downstream application. Further, since the goods have a life span of up to 30 years, the annual impact spread over 3 decades would be even less.

Application	Share in cost	Impact of duties on share	Impact per year (30 years)
		(Proposed duty * Share)	(Likely impact / 30)
Boiler	About 15-20%	2%	0.1%
Shell-and-tube heat exchanger	About 25-40%	3%	0.1%
Hydraulic cylinder	About 20-30%	2.5%	0.1%
Rolling bearing	About 5-10%	1%	0.03%
Construction equipment	About 2-4%	0.4%	0.01%
Capital goods overall	About 1-2%	0.2%	0.01%
Structural steelwork	Below 1%	0.1%	0.003%

Source: Comments to disclosure filed by domestic industry

125. The Authority notes that the subject goods are used in refinery, boiler systems, heat exchangers, mechanical, structural and general engineering applications. It is further noted that considering the duties recommended in these findings, the impact on the downstream users would still be negligible.

M. CONCLUSION

126. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- i. The product under consideration is Seamless tubes, pipes & hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel), whether hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD. It includes boiler pipes or line pipes used in hydrocarbon industry, subject to exclusions noted by the Authority.
- ii. The scope of the product under consideration has been curtailed in the present investigation and whereas duties were earlier in force on imports of Oil Country Tubular Goods (OCTG) covered under PCNs A-1-1 to A-1-4, the same has been excluded from the scope of the duty in the present review.
- iii. The domestic industry has produced like article to the imported product under consideration.
- iv. The application for initiation of the sunset review of anti-dumping duty was filed by Jindal Saw Limited, Kirloskar Ferrous Industries Limited and Maharashtra Seamless Limited.
- v. The applicants account for 93% of the total Indian production, and thus, constitute domestic industry for the like article.
- vi. Considering the normal value and export price determined, the dumping margin for the subject goods from the subject country is above de minimis level and is significant.
- vii. The demand for the product has increased over the injury period. The domestic industry holds sufficient capacity to meet the present and potential demand for the product. Despite the same, the volume of imports have increased over the injury period.
- viii. Despite anti-dumping duties in force, the volume of subject imports has increased in absolute terms and in relation to production and consumption in India.
- ix. The imports are predominantly of those categories which forms majority share of the Indian industry production profile.
- x. The domestic industry has suffered injury during the current period -
 - a. The subject imports have depressed the prices of the domestic industry in the market. The domestic industry has been forced to reduce its prices at a rate much higher than the decline in its costs.
 - b. The domestic industry has lost market share and has operated at less than 50% capacity utilisation throughout the injury period.
 - c. The profitability of the domestic industry has steeply deteriorated over the period. Its profits, cash profits and return on capital employed have declined steeply over the years. The return on capital employed earned by the domestic industry is quite low and unsustainable for any business to operate in long run.

- xi. Expiry of anti-dumping duties is likely to result in intensified dumping and consequent injury to the domestic industry which is evident from the following.
 - a. The volume of imports has continued to enter in increasing volumes despite duties.
 - b. The exporters from China PR have continued to export the subject goods at dumped prices over a prolonged period.
 - c. The subject imports have increased at a rate higher than increase in demand, despite duties.
 - d. The exporters in China PR have large surplus capacities, which is higher than Indian demand.
 - e. Despite limited domestic demand, the Chinese exporters have established capacities much beyond domestic demand. Resultantly, the exporters have no option but to look for global market.
 - f. China PR is also the largest exporter of steel and steel products globally.
 - g. The exporters in the subject country are facing significant trade remedial measures and other tariff measures in various third countries, such as EU, Canada, Brazil, Mexico, Ukraine and the USA.
 - h. Exports are being made at a price that is having significant depressing effect on the prices in the market. This is likely to intensify in the event of cessation of ADD.
 - i. As a result of depressing effects on prices felt by the domestic industry, performance of the domestic industry has already deteriorated in respect of profits, cash profits and return on investment. The performance is likely to deteriorate further in the event of cessation of ADD.
- xii. Continuation of anti-dumping duty is in the interest of the public and would have no adverse impact on the interests of public at large.
- xiii. The product under consideration is not a raw material used in the manufacturing process of any downstream product.
- xiv. Continuation of duties would result in negligible increase in the prices of downstream applications and would not be a measurable burden for the end-consumers.
- xv. The Indian industry comprises of multiple producers, who have sufficient capacities to meet the current and future demand in the country. Thus, continuation of duties would not result in any demand-supply gap.
- xvi. Absence of participation by any of the users in the present investigation demonstrates that the anti-dumping duties have not adversely impacted the performance of any downstream user.

N. **RECOMMENDATIONS**

127. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of continuation / recurrence of dumping and injury in the event of cessation of duties. Having concluded that there is likelihood of continuation of dumping and injury to the domestic industry if the anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that continued imposition of measures is necessary on imports of the product under consideration from the subject country.
128. With regard to duty structure, keeping into account factual matrix of the case and having regard to contentions raised, information provided and submissions made by interested parties, it is deemed appropriate to recommend a fixed form of anti-dumping duty. Accordingly, anti-dumping duty equal to the amount indicated in Column (7) of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the product under consideration, from the subject country for a further period of five (5) years.

Duty Table

S.N	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	7304*	Seamless tubes, pipes & hollow profiles of	China PR	Any country including China PR	Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co., Ltd.	NIL	MT	USD

		iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel), whether hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD**						
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than at Sl. No. 1	268	MT	USD
3.	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	268	MT	USD

*The customs classification is only indicative and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the product under consideration.

**The product under consideration in the present investigation is "Seamless tubes, pipes & hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel), whether hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD". It includes boiler pipes or line pipes used in hydrocarbon industry. The following products are excluded from the scope of product under consideration:

- i. Seamless pipes & tubes made of cast iron and stainless steel.
- ii. Seamless alloy-steel pipes, tubes and hollow profiles of specifications of ASTM A213/ASME SA 213 and ASTM A335/ ASME SA 335 or equivalent BIS/DIN/BS/EN or any other equivalent specifications.
- iii. Non - API and Premium Joints / Premium Connections / Premium Threaded Tubes & Pipes as prescribed under Customs Notification No. 12/2012, dated 17th March 2012 at serial number 356.
- iv. All 13 Chromium (13CR) Grade Tubes and Pipes.
- v. Drill Collars.
- vi. High pressure seamless steel pipe/tube used for manufacturing gas cylinders by producers approved by the Chief Controller of Explosives, Petroleum and Explosives Safety Organisation, Government of India.
- vii. Seamless Tubing, of a kind used in drilling for oil or gas, Carbon/ Non- Alloy/ Alloy, hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD.
- viii. Seamless Casing, of a kind used in drilling for oil or gas, Carbon/Non -Alloy/ Alloy, hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD.
- ix. Seamless Mother Hollows, coupling stock, blanks/ Pup Joints, Carbon/ Non Alloy/ Alloy, hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD.
- x. Seamless Drill Pipes, of a kind used in drilling for oil or gas, Carbon/Non alloy, hot finished of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD".

129. The application of the individual duty rate specified for the company mentioned at Sl. No. 1 in the duty table above shall be conditional upon presentation to the Customs authorities of a valid commercial invoice on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

"I, the undersigned, certify that the (volume) of Seamless tubes, pipes & hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel), whether hot finished or cold drawn or cold rolled of an

external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in China PR. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct."

130. If no such invoice is presented, the anti-dumping duty applicable to "Any", as specified in the duty table above, shall apply. This requirement is without prejudice to any verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs laws and regulations.

O. FURTHER PROCEDURE

131. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act / Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority